

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Thirty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 29th August, 1973."

The motion was adopted.

15 13 hrs.

RESOLUTION RE DECLARATION
 OF PRESENT LOK SABHA AS
 CONSTITUENT ASSEMBLY—contd

MR DEPUTY-SPEAKER: We now take up further consideration of the Resolution moved by Shri Bibhuti Mishra. He will continue his speech.

श्री बिभूति मिश्र (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस प्रस्ताव को लाने का क्या कारण है मैं इस को बतलाना चाहता हूँ। पिछले आम चुनाव में जब लोक सभा का चुनाव हुआ तो हमारी नेता ने कहा कि देश से गरीबी हटाओ, यह नारा दिया और उस नारे के ऊपर, समाजवाद के ऊपर हम लोग चुन कर के आए। इस के पहले जब हम लोग अंग्रेजों से स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते थे तो उस समय सुबह प्रार्थना में एक मंत्र पढ़ा करते थे—

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् ।
 कामये दुःखतप्ताना प्राणिना आर्तं
 नाशनम् ।

उमका भी मतलब यही था कि हम को बुनिया में कुछ नहीं चाहिये। देश से गरीबी और दुःख दर्द की तकलीफ को हटाना है। उस के बाद यह विधान बना और यह कैसे बना यह आप को जानना चाहिये।

15.14 hrs

[SHRI S. A. KADER in the Chair]

हम अंग्रेजों से स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे; उस के बाद उन का कैबिनेट मिशन आया, और कितने ही लोग आए। अंत में

उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में विधान निर्माण सभा बनाना। उस समय के जो असेम्बली के सदस्य थे वह साम्प्रदायिक आधार पर चुने गए थे और उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को साम्प्रदायिक आधार पर चुन कर भेजा था, कोई राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं चुन कर भेजा था। फिर पीछे फमला हो गया कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो जो हिन्दुस्तान का हिस्सा था उस में भी उसी साम्प्रदायिक आधार पर जो उस समय की असेम्बली के लोग चुने गए थे, वही विधान निर्माता परिषद के बनाने वाले मालिक बने और उस समय जो विधान निर्माता परिषद बनी दस लाख आदिमियों के पीछे एक आदमी चुना गया। लेकिन वह इनडायरेक्ट एलेक्शन से चुने गए। दस लाख की पापुलेशन से नहीं चुने गए, जो उस समय की असेम्बली थी, उस असेम्बली ने दस लाख के ऊपर एक आदमी को चुना और मेरे पास बिहार की लिस्ट है, 36 आदमी उस समय थे, आप के पास टाइम हो तो मैं लिस्ट पेश करूँ, उस से आप को पता चलेगा कि उस में बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन का बिहार की सार्वजनिक लाइफ से कोई संबंध नहीं था जिन की हिन्दुस्तान के स्वाधीनता संग्राम से कोई मतलब नहीं था, ऐसे आदमी उस विधान निर्माता परिषद में चुने गए। जिन को हिन्दुस्तान की उस समय की जनता का कोई पता नहीं था ऐसे लोग उस में चुने गए। एक तो साम्प्रदायिक आधार पर और दूसरे ऐसे कि जिन का हिन्दुस्तान की जनता से कोई संबंध नहीं था ऐसे लोग चुने गए। हा, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे डा० राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल नेहरू, ऐसे लोग भी चुने गए। लेकिन उन में ऐसे लोग भी चुने गए जो हिन्दुस्तान की जनता की भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। दूसरे, उस समय

की असेम्बली का चुनाव कैसे हुआ था ? असेम्बली का चुनाव हुआ था प्रापर्टी की बेसिस पर और उन्हीं के चुने हुए नुमाइन्दों ने विधान निर्मातृ परिषद् को चुना । तो कहने का मतलब यह है कि जो जनता के आदमी थे उन का उस में स्थान नहीं था । उनका स्थान था जा धनी वर्ग के थे जिन्होंने असेम्बली बनाई थी । उन के द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए वह विधान निर्मातृ परिषद् में चुने गए ।

आज 25 वर्ष हो गए । विधान निर्मातृ परिषद् ने जो हिन्दुस्तान का विधान बनाया और हिन्दुस्तान के विधान में जो प्रीएम्बल लिखा है उस प्रीएम्बल को देखने से पता चलता है कि हिन्दुस्तान के अंदर उस के अनुसार कोई काम नहीं हुआ । जो यह सविधान है हमारी सरकार ने खुद 31 बार इस को बदला है । इस के अलावा हमारे माननीय सदस्य बराबर विधान को बदलने के लिए समय समय पर अपना बिल लाए हैं । हालांकि सरकार ने मंजूर नहीं किया है लेकिन उनका भावना है कि सविधान में हेरफेर होना चाहिए । तो इस वक्त सबसे उचित यह बात है कि यह लोक सभा चुनी गई, गरीबी हटाओ के नारे पर, समाजवाद के नारे पर । इस पर हम लोग चुनाव लड़े हैं कि हमारी लोक सभा जो है यह डायरेक्ट चुनाव से आती है । साढ़े सात लाख की आबादी पर आज कास्टीट्यूएन्सी बनती है । उस कास्टीट्यू-ऐंसी से हम आते हैं और डायरेक्ट चुनाव से आते हैं और हम जनता की भाषना का प्रतिनिधित्व करते हैं । लेकिन यह संविधान भारतीय जनता के मसूवों को, उस के मतव्य को प्रकाशित नहीं करता है । इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस सविधान में हेरफेर किया जाय, इस सविधान को बदला जाय और बदलने के लिए यह लोक सभा के लोग जो हैं यही विधान निर्मातृ परिषद् में अपने की परिवर्तित

कर दें । कुछ लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलेगा । तो आप अपने सेशन को कट कर दीजिए । 6 महीने के बजाय तीन महीने बैठिए । और तीन महीने में विधान निर्मातृ परिषद् बना कर अपना कांस्टीट्यूशन बना लीजिए ।

अब आप को मैं बतलाना चाहता हूँ कि उस समय के विधान बनाने वाले कैसे थे ? राजा महाराजा और प्रापर्टी क्लास के लोग ऐसे लोग थे जो प्रतिक्रियावादी विचार के थे । ऐसे लोग थे जो हिन्दुस्तान की आजादी में विश्वास नहीं करते थे, एक सेकंड के लिए जेन भी नहीं गए, अंग्रेजों के खिलाफ बोलने की जिनकी हिम्मत नहीं हुई, 1947 के 12 बजे रात तक हमारे देश के बड़े बड़े वकील, डाक्टर, प्रोफेसर और बड़े बड़े ओहदेदार यह समझते थे कि हिन्दुस्तान से अंग्रेज नहीं जायगा, जब हम स्वराज्य की लड़ाई लड़ते थे तो बड़े बड़े लोग कहते थे कि यह विपत्ती पहले हुए, गांव गांव मुठिया माग कर और भीख माग कर क्या अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे ? लेकिन हम गरीबों ने दिखला दिया कि हमारा ताकत में अंग्रेज यहां से चले गए । लेकिन जो हमारा सविधान बना यह सविधान हिन्दुस्तान की जनता के बिल का रेफ्लेक्शन नहीं है । यह सविधान हिन्दुस्तान के थोड़े से आदमियों की मनोवृत्ति को प्रकाशित करता है ।

यह आप के सामने मैं रखना चाहता हूँ, एक किताब है जो प्लानिंग कमिशन ने हम लोगों को बाटी है, इस किताब में लिखा है

"The foreign debt stood at Rs. 7171 crores at the end of 1972-73....."

7161 करोड़ रुपये का कर्जा हमारे देश के ऊपर हो गया । यह 1972-73 का आंकड़ा है और इस में सूद वगैरह हम लोगों ने दिया है । आगे चल कर कहते हैं.

"Poverty, in a practical sense, is relative 550 million people live in this country at many economic levels ranging from lavish wealth to utter indigence "

यह हालत इस देश की है । यह सविधान बनने के बाद आज हम लागा को बाटा गया है । फिर आगे कहते हैं

"Even among the poorer classes there are various degrees of poverty These many degrees and kinds of poverty have existed in our country for a long time They strike the eye wherever we go Their acceptance as a fact of life is to be seen in the earliest Indian literatures it is a part of the Indian ethos itself"

आगे कह रहे हैं कि 1960-61 की प्राइम-सेज में 20 रुपये जिस की आय थी, आज 40 रुपये के हिमाब में हिन्दुस्तान में लगभग 70 प्रतिशत गरीब आदमी है पावर्टी प्लान के नीचे हैं ।

फिर सविधान बनाने में क्या किया? जब हम लोगों ने 1939 में मत्स्याग्रह का आन्दोलन छेड़ा तो गांधी जी ने हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से ले कर वायमराय तक को यह प्रल्टीमेटम भेजा—माढे बाईस हजार रुपये उस समय वाइमराय को तनख्वाह मिलती थी और यहा सविधान बनाने वालों ने 10 हजार रुपये अपने राष्ट्रपति की तनख्वाह रखी । गांधी जी ने वाइमराय से लेकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तक सब को चैलेज किया कि इतनी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए गरीब जनता के देश में और फिर वही सविधान बनाने वाले जो थे उन्होंने कहा कि दस हजार रुपया राष्ट्रपति को दिया जाय, माढे पाच हजार रुपया सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाय और साढ़े चार और चार हजार रुपया हाई कोर्ट के जज को दिया जाय । इसी तरह जो हमारे यहा के बड़े बड़े अफसर थे उन की

तनख्वाह 3 हजार रुपये रखी गई । एम्बेसेडर की तनख्वाह काफी है, गवर्नर की तनख्वाह काफी है । ये मार लोग हमारे हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की बात कमी नहीं सोचते थे । सविधान के बनाने वाले जा थे मालूम हो या कि यह उन की जेब का रुपया है, फर गये है । वह हिन्दुस्तान की जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, हिन्दुस्तान की जनता के दुख दर्द को नहीं जानते थे । इसलिए ऐसा इन्होंने सविधान में रखा ।

आगे मैं बताता हूँ जो लोग चुने गए थे उस में अधिकतर फ्रीडम फाइटर नहीं थे और जो थे भी फ्रीडम फाइटर वह बड़े बड़े ऊँचे तबके में आते थे, प्रापर्टी पनाम के लोग थे । जा आज लोक सभा में उस में हर तबके के लोग हैं । गरीब अमीर हर तबके के लोग इस में हैं जो जनता की विल को रेप्रेजेंट करते हैं । लेकिन उस समय जो चुने गए थे हमारी पार्टी में भी कुछ लोग थे जो चाहते थे कि ऐसा नहीं हो लेकिन उन की चली नहीं जैसे पंडित जवाहर लाल नेहरू थे । लेकिन उस में ऐसे लोग भी थे विधान निर्माण परिषद् में जो एडवर्ट फ्रेन्चाइज भी देना नहीं चाहते थे ।

मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि इस में जो डिस्ट्रिक्ट रखी गई है, आज उस की इतना है । जिस देश के 70 फीसदी लोग पावर्टी लाइन के नीचे हैं और 30 फीसदी लोग अच्छी तरह से रहने वाले हैं—उस का क्या भविष्य है ? आज किसी डाक्टर के पास जाओ, जब तक 10 रुपये फीस के उस के सामने न रखो, वह देखता ही नहीं है ।

सभापति जी, "मार्क्स एण्ड मार्क्सिज्म" नाम की किताब निकली है, मैंने उस से नोट लिया है,—उस में लिखा है कि चाइना हम में पीछे था, लेकिन आज चाइना हम में आगे हो गया है . . .

श्री बी० बी० नायक (कनारा) :
किस ने कहा है ?

श्री विभूति मिश्र : यह किताब है, इस
में लिखा है

SHRI B. V. NAIK: They are capable
of blowing bombs..

MR. CHAIRMAN: He is giving a
reference; you have to take it

AN HON. MEMBER: He is not read-
ing the reference, he is telling orally.

श्री विभूति मिश्र : हम से वह देश आगे
बढ़ गया। दूसरी बात—71 अरब 60
करोड़ रुपया हमारे ऊपर कर्जा हो गया है—
मैंने अभी पढ़कर सुनाया है, इसे प्लानिंग
कमीशन ने दिया है। जब यह हालत हमारे
देश की है और यह सविधान खूद
सरकार ने 31 बार तबदील किया, सशोधित
किया, तब इस से यह अन्दाजा लगता है कि
इस सविधान से मेरा काम नहीं चलेगा,
हमको दूसरा सविधान बनाना पड़ेगा, इस के
सिवाय कोई दूसरा जरिया नहीं है कि आप
लोक सभा को सविधान सभा डिक्लेयर
कीजिये।

आप एजुकेशन को देबिग—पब्लिक
स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, मेट कोन्सल्व है,
नाना-तरह की एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन
है—उन में गांव के गरीब आदमी नहीं है,
जो थोड़े से एलाइड परमन्स ह अफमरों
के बच्चे हैं, वे ही इन में शिक्षा प्राप्त करते हैं
और शिक्षा प्राप्त करने के बाद इस देश के
राज्य की गद्दी सम्भालते हैं, वे ही बड़े
अफसर बनते हैं। जो आदमी जिग मानवरण
में रहता है, जिन नॉर्ममलान्मज में रहता
है उन नॉर्ममलान्मज का फायदा उठा कर
उसी परिस्थिति को कायम रखना चाहता
है और वह नहीं चाहता है कि इस देश के
गरीबों का भी उद्धार हो, उन को भी आगे
बढ़ने का मौका मिले। इसलिए जरूरी
है कि सविधान को बदला जाय।

अब आप देखिये प्रापर्टी में बितना
फर्क है—गाहरी प्रापर्टी वा गांव की प्रापर्टी
से हिमाव मिलाइये। गांव में जमीनों की
सीलिंग हुई, लेकिन अर्बन प्रापर्टी के बारे
में कुछ नहीं किया। बराबर हमारी पार्टी
की मीटिंग में, ए०आई०सी०सी० के जलसों
में सरकार ने कहा है कि हम अर्बन प्रापर्टी के
बारे में भी बिल लायेंगे—लेकिन आज तक
नहीं लाये। कारण यह है—इस सविधान
में कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं जिन की वजह
से सरकार नहीं कर पाता। सुप्रीम कोर्ट में
मागले जाते हैं, पचासों तरह के बखेड़े खड़े
हो जाते हैं, सरकार उन में परेशान हो जाती
है। अभी जरा मा ए० जज बदला था,
गोखले साहब को दिन भर यहां बैठना पड़ा,
जवाब-जवाब देते थक गये। इस लिये सरकार
को खुद सोचना चाहिये कि अगर सविधान
नहीं बदलेगा और यह समझे कि आप
इतमिनान के साथ यहां बैठे रहेंगे,
तो यहां नहीं बैठ सकेंगे। एक दिन जनता
खुद राज्य को अपने हाथ में ले लेगी और
उसी तरह से हमारा राज्य भी हट जायगा।

ऐसा कहा जाता है कि रेवोल्यूशन के
बाद सविधान बनता है, यह बात सही है।
या तो खूनी क्रान्ति हो, या सत्याग्रह की
क्रान्ति हो, या फिर मानसिक क्रान्ति होनी
चाहिये। मैं चाहता हू कि हमारी सरकार के
अन्दर क्रान्ति होनी चाहिये कि हमें
सविधान को बदलना है। अगर सरकार के
अन्दर मानसिक क्रान्ति नहीं होनी है, तो
मैं बनाना चाहता हू कि यह मारा ढांचा
पड़ा रह जायगा और जनता आगे निकल
जायगी। अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है,
हिन्दुस्तान में भी वही रेवोल्यूशन हो जायगा
(यशवन्त)

MR CHAIRMAN I would request
the Member not to have cross talks
like this. Let the hon. Member give
his views and then you will get your
turn when you may say what you
want to say on this. Mr. Ishaque. you
are also interrupting very much.

श्री विभूति मिश्र सभापति जी, दिल्ली से बबामो की बहुत बन्दी है—लेकिन जरा गाँवों में जा कर देखिये, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ एजकेशनल डिस्विगिटी है, मेडिकल डिस्विगिटी है दिल्ली में जैसे घर है या शहरों में जैसे घर है गाँव में जा कर देखिये वहाँ कुछ भी नहीं है। पीने को पानी नहीं मिलता है। इन सारी बातों को देखते हुए मालूम होता है कि हमारा सविधान हमारी गरीबी दूर करने में कारगर नहीं रहा है।

आज भी इस देश में मनुष्य मनुष्य का शोषण करता है। हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है—लखनऊ का उन का भाषण मेरे पास है—हालांकि वं खुद में 10 हजार रुपया पाते हैं—उन्होंने कहा है कि लोग एम०एल०ए० होने को तैयार हैं टी०ए०, डी०ए० लेने को तैयार हैं। मैं पूछना चाहता हूँ—वे खुद 10 हजार रुपया लेते हैं तो एक्सप्लायेट नहीं करते हैं जब कि उत्तर बिहार की पर-कैपिटल इन्कम 200 रुपया है इसलिये मनुष्य मनुष्य का एक्सप्लायेटशन करता है और यह एक्सप्लायेटशन बन्द होना चाहिये, लेकिन यह सविधान बन्द नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि हमारे तमाम प्रिविलेज हैं, हम को फण्डामेंटल राइट्स दिये गये हैं, तो फिर परिवर्तन कैसे आयेगा, यह एक्सप्लायेटशन कैसे बन्द होगा। यह सविधान किस में बनाया था? जो हिन्दुस्तान का दुख दर्द जानते थे, उन्होंने नहीं बनाया वकील लोगो ने बनाया था। गार्गी जी खुद बैरिस्टर थे, जवाहर लाल जी और राजेन्द्र बाबू भी वकील थे, लेकिन उन के अन्दर देशभक्ति के सम्भार हो गये थे। लेकिन जो अन्य सविधान बनाने आये उन का देश के हित में स्वकार नहीं बढ़ा था, उन को तो ब्रिटिश राज्य के सपने दिखाई देते थे, उन पर अंग्रेजी राज्य का असर था, उन लोगो ने सविधान बनाया,

जो हिन्दुस्तान की आज की परिस्थितियों में माकूल माबित नहीं हो रहा है।

आप देखते हैं कि सविधान की गड़बड़ी की वजह से सैंटर और स्टेट में झगडा शुरू हो गया है। कुछ स्टेट्स कहती हैं कि हम को आटोनामी मिलनी चाहिये, सैंटर के सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या कारण है, क्यों आटोनामी मांगते हैं? इस के मायने हैं कि सविधान में कुछ कमिया हैं, जिस को सैंटर पूरा नहीं कर सकता है—चाहे उन के दिमाग में भारतीयता का प्रश्न हो, सारे देश को एक रखने का प्रश्न हो—एक बात बिलकुल स्पष्ट है कि कुछ बन्दी हैं जिस को यह सविधान आज तक पूरा नहीं कर सका है। भाषा का प्रश्न है, उस पर झगडा हो जाता है, यहाँ सदन में कुछ लोगो के लिये अपनी भाषा में बोलने का प्रबन्ध है, वे जो कुछ बोलते हैं उस का अनुवाद हो जाता है, लेकिन देश का काम चलाने के लिये आज तक एक भाषा नहीं बनी। आप रूस के कास्कीचूशन को देखिये—किस तरह से उन्होंने अपने भाषा के सवाल को हल किया है। लेकिन हमारा सविधान आज तक पिछले 26 वर्षों में इस को हल नहीं कर सका है।

सभापति जी, मेरा एक 5079 नम्बर का अन-स्टांड क्वेश्चन था, उस का जवाब डिफेंस मिनिस्टर साहब ने दिया है, वह कहते हैं—

“(a) Since, in the Army, due to historical reasons and on grounds of tradition, certain class compositions are continuing There is reservation and weightage in recruitment for members of certain castes only, on the basis of the existing class compositions.”

श्री विभूति मिश्र

आप बतलाइये—इतनी महत्वपूर्ण चीज हमारी मिलिट्री है—जिस में आज तक कहते हैं कि कुछ क्लास काम्पोजीशन अभी तक चल रहा है : हमारी सरकार नारा लगाती है और सब लोग कहते हैं कि देश में सैकुलरिज्म है, लेकिन मिलिट्री में सैकुलरिज्म क्यों नहीं है—पिछले 26 सालों में हमारा संविधान इस को दूर नहीं कर सका है।

26 साल के बाद भी मिलिट्री में सैक्युलरिज्म नहीं आई। तो जब वहां नहीं आई फिर देश में कैसे आयेगी। मिलिट्री हिन्दुस्तान की सब कुछ है। आज छोटे छोटे बच्चे 12 वर्ष उम्र के रिकशा चलाते हैं जो कि संविधान के मुताबिक नहीं होना चाहिए। संविधान में यह है कि 14 वर्ष के बच्चों तक एजुकेशन कम्पलमरी की जाये लेकिन यह भी नहीं कर पाये। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारा संविधान जो है वह हिन्दुस्तान की जनता की भावनाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है इसलिए इस बात की जरूरत है कि इस संविधान का बदला जाये और उसके लिए आवश्यक है कि इस लोक सभा को कांस्टिट्यूट एमेम्बली बनाया जाये।

कुछ हमारे साथी इसलिए इसको नहीं बनाना चाहते हैं कि वे माइनारिटी में आये हैं और कांग्रेस वाले यहाँ पर मजोरिटी में आये हैं लेकिन मेरा कहना है कि हिन्दुस्तान का हित बड़ा हुआ नहीं है। जैसा कांग्रेस का काम है वही विरोधी दलों का काम है क्योंकि सभी का काम देश का हित करना है। जो हम चाहते हैं वही आप भी चाहते हैं। इसलिए इस लोक सभा को संविधान सभा बनाने का आप समर्थन करें। यदि आप समर्थन नहीं करते हैं और बीच बीच में संविधान विधेयक लाते हैं तो यही समझा जायेगा कि छूटपुट बिल ला करके संविधान का संशोधन करना चाहते हैं लेकिन पूर्ण रूप से संविधान को संशोधित नहीं करना चाहते हैं।

अतः मेरे मुझे यह कहना है कि इस देश में ये यह संविधान चलने वाला नहीं है। समाजवाद के सिद्धांतों के आधार पर जब संविधान बनायेगे तभी इस देश का कल्याण होने वाला है बरना नहीं होने वाला है। मैं चाहूंगा इसके लिए सरकार कदम उठाये। यदि सरकार कदम नहीं उठायेगी तो जैसा मैं बतला रहा था जनता स्वयं कदम उठवा देगी (व्यवधान) बग़ावत बहुत जरूरी है। जैफर्सन ने कहा है कि 10-15 साल के बाद खूनी क्रान्ति होनी चाहिए। उसमें हालांकि कुछ लोग मारे जाते हैं लेकिन सरकार ठीक से चलती है। तो मैं बताता हूँ कि 1942 के बाद 31 साल हो गए, इस देश में कोई क्रान्ति नहीं आई। आप क्रान्ति करेंगे या नहीं, मुझे शक है लेकिन इस देश की जनता क्रान्ति करेगी, जनता पर मुझे विश्वास है। इसलिए मैं समय रहते हुए सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार संविधान को देखे अगर इससे सरकार का काम नहीं चलता है तो उसका प्रबन्ध करे। हमने देखा कि देश में बेकवरी नहीं मिली। किसी आदमी को काम देने के लिए हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसको काम मिल जायेगा। एक बात और भी है कि जो लोग काम नहीं करते हैं वह काम करेंगे थोड़ा और चाहेंगे ज्यादा, इससे भी बड़ी परेशानी है। जो हमारे रूसी भाई हैं उन्होंने रूस में जो अपना संविधान बनाया उसमें लिखा है कि नेशनल प्रापर्टी को बरबाद नहीं करना चाहिए। अगर कोई उसको बर्बाद करेगा तो उसे बहुत बड़ी सजा दी जायेगी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी हालत है कि अगर कोई झगड़ा हुआ तो रेल, पोस्ट आफिस और बसों को सुरक्षित फूकना प्रारम्भ कर देते हैं। हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है लेकिन रूसी संविधान में यह व्यवस्था है कि अगर इन चीजों को कोई नुकसान करेगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा कि सरकार इस लोक सभा को विधान निर्मात्री सभा घोषित करे और जनता की जैसी इच्छा

है वैसे संविधान बनाकर देश के कल्याण के काम को आगे बढ़ाये।

MR. CHAIRMAN: There is one amendment by Mr. Limaye and there are two amendments by Mr. Daga. Are they moving them?

SHRI MADHU LIMAYE: Yes, I move:

"That in the resolution,—

for "present Lok Sabha may be declared as a Constituent Assembly and a new Constitution may, be framed for the country immediately"

substitute—

"next Lok Sabha, in addition to its being the directly elected House of the Union Legislature be also declared as a Constituent Assembly charged with the task of framing a new Constitution within two years of its constitution" (1).

SHRI M. C. DAGA (Pali): I move:

"That in the resolution, for "Lok Sabha may be"

substitute—

"Lok Sabha and Rajya Sabha may jointly be" (2).

"That in the resolution, add at the end—

"in view of the fast changing times" (3).

MR. CHAIRMAN: These three amendments have been moved.

*SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Ausgram): Mr. Chairman, Sir, before I begin my speech I would like to congratulate you on your recovery from prolonged illness and once again presiding over the proceedings of this

House. Sir, this non-official resolution seeking to convert the present Lok Sabha into a constituent assembly for the purpose of drafting a totally new constitution has been brought before this House by one of the oldest member of the ruling party. In his introductory speech the mover has said that after 26 years of independence it has been found that the Constitution has become obsolete and unworkable and it has been necessary to make 31 amendments to this Constitution upto now. It goes to prove that the spirit of the Constitution by which the Government and its policies are guided, has only resulted in keeping about 25 crores of our people below the poverty line today. They are starving and unable to find employment. This is known to every body. This situation shows that a change has become imperative in our country. I will discuss later what path we should follow to reach that goal. Sir, at the time of our election to the Lok Sabha we had issued our party manifestos and have been elected on the strength of those manifestos. We had no where stated there that we would convert the Lok Sabha in a Constituent Assembly. Moreover, it has been provided in the Constitution that we can amend the Constitution by a 2/3rd majority and we have already brought about 31 amendments to the present Constitution. I don't know whether he is trying to prolong the life of the present Lok Sabha by converting it into a Constituent Assembly. Sir, under the Constitution the Parliament comprises of the President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. But, Sir, Shri Mishra in his resolution seeks to convert only the Lok Sabha into a Constituent Assembly. How is that feasibility? What will happen to the Rajya Sabha? Had he proposed to convert both the Lok Sabha and Rajya Sabha into a Constituent Assembly that might have been more meaningful? He has said that original Constituent Assembly was elected through

*The original speech was delivered in Bengali.

[Shri Krishna Chandra Halder]

indirect elections with each member representing ten lakh votes. The mover has further said what class of people constituted that Assembly although people like Pt. Jawaharlal Nehru were also there and that Constitution has not been helpful in solving any problems of our country. This statement has come from one of the seniormost members of the ruling party. Perhaps, he aims to draw a new Constitution through this Constituent Assembly by a simple majority vote and I don't think this to be proper. Sir, the present Lok Sabha has been elected according to the provisions of the Constitution itself. The Constitution does not empower the Lok Sabha to convert the Parliament into a Constituent Assembly. Sir, I cannot understand how the Lok Sabha which has been elected and is guided by the provisions of the Constitution can act contrary to the Constitution and convert it into a Constituent Assembly. Apart from this, some undemocratic provisions of the Constitution needs to be amended.

For example. Article 22 of the Constitution which provides for detention without trial should be totally scrapped. Our experience is that as times pass our problems are only increasing through the working of the present Constitution. In the Fundamental Rights of the Constitution right to property has been treated as more sacred than individual rights. What is this? How can property get precedence over individual? Such provisions need to be amended. Many States have passed legislation for land reforms but what has been the result? Has it been possible to distribute land among the landless. Have any arrangement been made by the Government to take over all land which are above the ceiling from the big landlords and jotdars and to distribute it among the landless labourers and share croppers etc. That has not been done. That is why these people are uniting today to obtain possession of

land through struggle. In the Fundamental Rights of the Constitution right to work and right to a living wage has not been provided. We have not yet made education free and compulsory for every body. On the strength of the Constitution a post of Governor has been created in each State which I consider to be useless and a white elephant for the State. What is the purpose of this post of Governor? We find that in all the States the Governors are acting only as agents of the Ruling party at the Centre, without wielding the powers given to them by the Constitution. They are only machines working according to the dictates of the Ruling party. We demand that the post of Governor should be abolished. The most prominent question today is that of Centre—State relationship. Sir, it is said that they have got a Federal system of Government but in reality it is only a Unitary Government. All the powers are concentrated in the hands of the Centre. This is giving rise to various problems and conflicts. There is need for reconsideration what should be the relation between the Centre and the States. It is necessary to give the States more democratic rights. It is very unfortunate that all the financial and economic powers are concentrated in the hands for the Centre. This power is misused by them against the Governments formed by the Opposition parties in the States. This has been our experience in West Bengal. When the United Front Government came in power, the Centre prevented them from functioning in a democratic way through the misuse of the financial powers. This attitude of the Centre has given rise to the demand for autonomy in various States like Tamilnadu etc. I, therefore, demand that the Constitution should be amended so that only departments like Defence, External Affairs, Communications and issue of currency may be kept under the charge of the Centre and the States should be given complete autonomy in all other matters. Shri Mishra has stated that people's

Government have been established in China through revolution long after us. But they have surpassed us in many fields of development. How was that possible? It was possible because fundamentally you took over power from the Britishers and framed this Constitution through a Constituent Assembly elected by indirect elections. You have built up here the frame work of a capitalist system of Government. By maintaining this capitalist form of Government it is never possible to remove poverty. This system of Government thrives on exploitation only. It is not possible to bring about real socialism through this system of Government. This system of Government based on class complex and exploitation must end for the good of the country. This system must be demolished. As stated by the oldest member of revolution is around the corner. That revolution will not be a mental revolution only. Sir, we are sitting on a volcano. That day is not far off when the present system of Government based on exploitation of the masses shall be smashed down. And a real socialistic Government will be placed in power through a bloody revolution as has happened in the Soviet Union and China where the labourers and peasants united to pull down the old system of Government. In India also that day is coming when a real democratic and socialistic Government will come in power under the leadership of the labouring classes. If you are really sincere to bring about the desired changes then merely converting the Lok Sabha into a Constituent Assembly is not enough. Then you abolish the Lok Sabha itself. You hold fresh elections on the basis of proportionate representation. The voters may be given the right to recall their representatives. Then that Constituent Assembly may be able to produce a Constitution which will meet some of the hopes and aspirations of the people. The fundamental thing is it is not possible to remove poverty by keeping alive the present frame of Government which is based on exploitation. Socialism is but a far

cry. Only then we will be able to better the lot of the Indian masses where over 25 crores of people living in starvation and semi-starvation, where over 5 crores of young and able bodied persons are without employment and where there is no adequate provision for medical treatment and education. If this is not done then I am sure that day is near when not only a mental revolution but a revolution led by the working classes, and based on the unity of the farmers and labourers will erupt in this country it may be a bloody one but it will take the people nearer their goal. They will set up a real democratic Government in the country and they will create a Constitution which will help the people realise their ambitions and dreams. In that State there will be no place for the monopolists and the capitalists who survive only by exploiting the people. That day a real democracy will be established in the country which will not be a democracy of the Bourgeois and a democracy of the people. It won't be a democracy of the rich classes as in the present parliamentary system. Only that day real constitution will be written which will actually be by the people, of the people and for the people of India. Sir that day is not far off.

SHRI S. A. KADER (Bombay—Central-South): Mr. Chairman. Sir at the outset, I must welcome you back amongst us, hale and hearty, and we are thankful to God that one of our colleagues has been restored back to us.

The Resolution moved by Shri Bibuthi Mishra has to be looked at from the point of view of utility. I do not know whether this House can convert itself into a Constituent Assembly and when this House is empowered to amend and change the Constitution what is the necessity of a Constituent Assembly. Perhaps, if there is an absolute necessity of a Constituent Assembly then we should approach the people, giving them certain ideas

[Shri S. A. Kader]

and ideals and spelling out our programme so that they can give their verdict and on the basis of that decision we should constitute a Constituent Assembly.

I would appeal to my friends not to judge this issue from any political or personal angle. 25 or 26 years of national life is sufficient to take stock of the situation and find out whether we have achieved something or we have gone back. If we find that we are going back or we have gone back, then certainly some radical reforms are necessary.

The field in which India has made progress is population. The population of India in 1951 was 36 crores which increased to 43 crores in 1961 and 54 crores in 1971. That progress was not because of the effort of the Government but because of the effort of the people. Having made this progress in the field of population, the progress in the field of per capita income is rather disturbing. The per capita income in 1960-61 was Rs. 361 at the rate of price prevailing in 1961. The per capita income in 1970 was Rs. 633 but if you calculate in terms of the 1961 price level it comes to only Rs. 348. Therefore, because of the population explosion the per capita income has also come down. It has also severely affected our plan programmes.

That is not all. Have we utilised all the natural resources that are at our disposal? If we look to the irrigation potentiality, it is about 27 per cent of the total length of irrigation. Why are we lagging behind? When India is an agricultural country, why should it be that irrigation falls far behind? One thing more. We have got vast natural resources of hydro-electric power. I am told, about 17 per cent of the potential power of hydro-electricity is being utilised to day. That means, we have yet to utilise something like 70-80 per cent of hydro-electric power if we want to harness

electricity fully. We have not been able to do it in 26 years' time. That speaks volumes where we are lagging behind.

Now, I would like to come to the question of the set-up of our Constitution. Administratively, the country is one. Politically, the country is divided. For example, we have got the Parliament and the Central Government we have got the State Assemblies and the State Governments; we have got the Zila Parishads and the Panchayats. As far as the Central Government is concerned, it has all the subjects at their command. At the same time, there are the Concurrent subjects and the State subjects. Therefore, a division of administration has been so done that no one is the master of the situation. Sometimes, we say, it is the State subject; sometimes, we say, it is the Concurrent subject; sometimes, we say, it is the Central subject. The Central Government will say, it is a State subject; the State Government will say, it is a Central subject.

These sort of things are also hindering the progress of our country. This Constitution was made 25 or 26 years ago by our people, well-intentioned people, and we should not apportion any blame or say, anybody has done wrong. It was in their wisdom that they made this Constitution. Basically, the Constitution is not wrong. But in details, it may not be to the requirements of the country as a whole.

Take the Constitution itself. I am told, most part of it has been bodily copied from the Act of 1935. Now, if it is a copy of that Act, that means the mind has not been very much applied to the requirements of this country. At the same time, our leaders saw to it as to what kind of Constitution we want to give to the people of our country. In the Preamble, in the Directive Principles, all these things were embodied. To that ex-

tent, it is perfect. But to the other extent, I think, it is not perfect at all. The time has come when we have to see whether after 26 years' working of the Constitution, it has given to the people the things that they need.

Today, some say, that Constitution is supreme. I do not consider the Constitution as supreme. The people's will is supreme. The Constitution is meant for the people. The people are not meant for the Constitution. So, there is no hard and fast thing about it. If it is the people's will, it can be thrown out; it can be amended; it can be changed at any time.

16.00 hrs.

How does the Constitution operate today? Today, the Parliament is supreme. The will of the people is reflected in this Parliament. The Parliament is supreme over everything. Is it supreme over administration? In fact, in theory, it should be so. But I doubt it. The administration is also perhaps absolutely independent of the Parliament. If, for example, the Ministry or Cabinet decides something and things go wrong, what happens? Who is the culprit? The culprit is somewhere else, but the blame comes to the Ministry. We, among ourselves, fight and blame each other. Why does this happen? It is because the administration is supreme and independent. They have been so well protected under this Constitution that nothing can touch them. Even a person who is known for his inefficiency and corruption cannot be dismissed outright. The utmost that can be done is, he can be transferred. That means transferring the disease from one place to another. There is no power with the Ministry or the Minister to dismiss him or take independent and immediate action against him. Therefore, it is necessary that we consider this aspect. What I feel is that we should make departmental action non-justiciable along with changes in the rules of service which were framed during the British time

and which are in operation even today. When those rules were framed, the requirement of the departments was not considered, but the requirement of the British imperialists was considered—what type of persons was required to carry on the British empire. And those rules are prevalent even today. Therefore, changes in those rules along with the Constitutional amendment that I have suggested are a 'must' if we want that the administration should work in the interest of the people and by the will of the people.

Secondly, what do we find today between the States and the Centre. Are their relations so good that all the directives of the Centre run in the States? Therefore, the time has come when we should think of basic structural changes in the Constitution itself. And what I am feeling is that a unitary form of government in the country is the requirement of the day. There should be no provinces. There should be four strata of administrative set-up under which we should work. First and foremost...

SHRI R. R. SHARMA (Banda): You are heading towards dictatorship.

SHRI S. A. KADER: You have not listened to me. My hon. friend should have some patience and listen to me.

What I am saying is that our Constitution should begin from village. What is happening to our villages today? Villages are being destroyed. Cities like Bombay, Calcutta, Madras and Delhi are full with people from rural areas coming there to settle down in juggis and jhompris. Why? Do they come there for cinema or for some show? They come to the cities to earn their livelihood. They cannot earn their livelihood adequately in the villages. We have six lakhs of villages. Without a regular organization, there is an influx of people coming to the cities and they create problems in the cities which are also very difficult to solve.

[Shri S. A. Kader]

Therefore, our Constitution should begin from the village. There should be obligatory duties in the village, what they are supposed to do for their citizens. Then it should be taluka and then zilas, and a unitary form of Government at the Centre. It should be completely decentralised. Every village should feel a republic by itself; it should have its own, what we call, resources, and if it does not have, it should be given. But it should have ample opportunity to develop by itself. Similarly, talukas and zilas. The Centre should have a few subjects covering the whole of India. That would be an ideal Constitution according to me. Of course, it is a debatable point. Many people will say 'yes' and some people will say 'no'. But the time has come when we should look into it. A better one should be brought forward. When can it be brought forward? It can be brought forward only if the leadership of the country takes courage in its hands and says that the time has come when we should review the present situation, in its entirety, we should look at it with a revolutionary approach and should bring about some change.

I am quite sure that if the present stalemate is to continue and if the present Constitution is worked for a number of years to come, things are not going to be easy and things are going to be hot for everyone. Therefore, it is time that when we have got such a big majority in Parliament and even the Members of the Opposition will not be against it if there are constructive approaches made towards beautify and streamlining the Constitution that is required. And, if we do not do it, then I think history will blame us that when the opportunity was there, you failed the people, you failed the country, you failed everyone. These are the dictates of times. Sir, a poet has said:

“वर्त का फरमा अपना रूप बदल सकता नहीं, मौत टल सकती है फरमा टल सकता नहीं।”

Now, these are the dictates of the time and if we do not take time into our hands, If we do not take courage into our hands, make changes, drastic and revolutionary, for the ultimate benefit of the common man, for the ultimate benefit of the man living in the village or the man living in the slums in Delhi or other cities, unless he is benefited, unless his involvement is there, unless he feels that this country belongs to him, the few people of the country cannot carry all the people for all time. Therefore, my friend, Shri Bibhuti Mishra is right when he says that if you do not take stronger steps, possibly there may be an explosion, there may be a revolution. I feel that our country is not in a mood to revolution but, if it is, then God save us.

Recently, I met a Russian who had come to India. It is a very interesting story. He said that he came to India as an atheist but he has gone back as a believer. I asked him 'Why? What has happened?' He said, "It is simple. When I came to India and stayed here for three months, I did not find a single thing in a proper place. Everything was wrong. Shortage here, shortage there. All these things are there. But, still it is going on. So, I think there is some super-natural power which is carrying on all these things inspite of what is existing in India here." To-day, possibly, you should not take it for granted because people will not take it for granted.

To-day if we look around we see some kind of an agitation, either in the form of Satyagraha or in the form of a Gherao or it may be in any other form, but conditions are bad. Therefore, any delay to look into the matter will be disastrous as far as our country is concerned.

One thing more, the last thing and I will close. Of late, the productivity of the country has also gone down. Why? I am told that the total output of a person—I am taking India as a whole—the total output of the working class is two hours a day. Maybe a little more or may be a little less but it is not far off that figure.

SHRI C. M. STEPHEN (Mavattupuzha): Who gave you this figure?

SHRI S. A. KADER: Now, if it is two hours a day, the productivity is naturally hampered and, therefore, the country becomes poorer in the ultimate analysis. Therefore, it is time that we should see that in the field as well as in the factory, the productivity is brought to the highest standard....

SHRI C. M. STEPHEN: What has the Constitution to do with that?

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Everything under the sun can be brought in the Constitution.

SHRI S. A. KADER: The Constitution can make all the provisions for it. My friend, Mr. Stephen, knows that if the Constitution is right, the working of the whole thing will be right. Otherwise, everything will go wrong. Therefore, the Constitution is the most important thing for a country and that the Constitution should be such which should reflect the will, the sovereignty and the aspirations of the people in the working of it.

Therefore, I would appeal to the Government that while not totally rejecting the resolution moved by my friend Shri Bibhut Mishra, they very fundamentals of the resolution should be taken into consideration. The Government must give proper thought to it. It would be advisable to have a White Paper for the Twenty-fives of our freedom. If it is not good, what should be done? Something should be done by which we can bring about a revolutionary change in the country so that the common man might get his due. That is what I have to say.

श्री जगन्नाथराव जोशी (शाजापुर) : सभापति महोदय, माननीय विभूति मिश्र जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने विचारार्थ रखा है उसके दो पहलू हैं। एक तो उनके विचार में आज का संविधान बदलना जरूरी है और संविधान बदलने के लिये आज की जो यह लोक सभा है इसी लोक सभा को संविधान में परिवर्तित करना जरूरी है। इसलिए पहले यह

देखना होगा कि आज वास्तव में संविधान बदलने की जरूरत है क्या? जितनी भी समस्याएं आज सरकार के सामने दिखाई देती हैं क्या इन समस्याओं का हल करने में संविधान बाधक रूप में आता है? मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि उन की एक ही आदत है। वास्तव में वह गांधी जी के अनुयायी कहलाते हैं, किन्तु गांधी जी का स्वभाव यह था कि वह इत्यादिवादी से देखते थे कि कहीं मुझ में खुद का दोष नहीं है। वह दूसरों को दोष नहीं देते थे। लेकिन हमारी सरकार खुद की गलती को छिपाकर दूसरों को दोषी ठहराने की कोशिश करती है। तो उन सबको दोषी ठहरा कर समाप्त हो गए अब आखिरी आ गए संविधान पर।

श्री एस एस गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) यह सरकारी रेजोल्यूशन नहीं है।

श्री जगन्नाथराव जोशी इसी लिए मैंने कहा कांग्रेसी मित्र। सरकार तो कांग्रेस की ही है। सब विरोधी दलों को दोषी ठहराया फिर परिस्थितियों को ठहराया, फिर वर्षा को दोषी ठहराया, मी आई ए को ठहराया। दुनिया में कोई बचा ही नहीं। अब आ गए संविधान पर। दिमंड ए सार्ट आफ एस्के-पिजम। इससे समस्या हल नहीं होगी। जिन जिन महानुभाव ने अर्थात् विचार प्रकट किये मिश्रा जी से लेकर कादर साहब तक, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि देश की गरीबी की समस्या हल करने में क्या संविधान बाधक है? मैं यह मानता हूँ कि पहली संविधान सभा जिन लोगों ने बनाई थी वह एडल्ट फ्रैंचाइज से नहीं आये थे। किन्तु यह बात हम नहीं भूल सकते हैं कि इस का मुख्य प्रारूप जिन्होंने तैयार किया वह थे बाबा साहब डा० अम्बेडकर जिन्होंने गरीबी क्या है इसका अनुभव किया हिन्दुस्तान के अन्दर दलित क्या होते हैं इसका अनुभव किया था जिसकी कल्पना हम आज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इस संविधान का प्राव्य बनाया और इस के अन्दर आये-फिट ब्रिंसिपल रखे।

[श्री जगन्नाथराव जोशी]

प्रीएम्बल रखा। उस से जो संविधान निर्माण किया उस की मंशा क्या है यह तो बिल्कुल साफ है। यहां तक तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अन्दर बता दिया है कि आगे चल कर इस की कोशिश करेगा, इस विचार को व्यवहार में लाने की कोशिश करेगा। जो स्वयं यह बात कहते हैं क्या उन को यह बात मालूम नहीं थी कि आगे चल कर देश का विकास करना है, सामान्य आदमी की स्थिति को ऊपर करना है, तो यह संविधान उस में बाधक बनेगा, यह उन के दिमाग में नहीं आया? मेरा कहना है कि जैसे हिन्दी में एक कहावत है कि नाचना नहीं आता तो आंगन ही टेढ़ा है, यह हो रहा है।

मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि 1971 के चुनाव में भारी बहुमत आप को मिला। यह भारी बहुमत मिलने के बाद भी क्या राज्यों में जो झगड़े हो रहे हैं यह संविधान ने कहा कि झगड़े करो। बिहार के मुख्य मंत्री श्री गणेश प्रसाद या पांडेजी होते इस से गरीबी हटाने का क्या मतलब? दोनों मिल क्या गरीबी हटाने के प्रयत्न नहीं कर सकते थे? गुजरात के मुख्य मंत्री पटेल बनें, अजिजा बनें, बीया बने कोई बने इससे कोई मतलब है क्या? आखिर कोई एक कांग्रेस दल होगा, एक कोई नीति होगी, कार्यक्रम होगा और उसके अनुसार जो करना चाहिए यह आप करते नहीं है तो संविधान को दोष देने का मतलब क्या है? सारी बातें आ कर खड़ी हो जाती हैं। अभी हमारे मित्र कादर ने कहा कि ग्राम विकास नहीं हुआ। किस ने रोका था? हर प्लान में टाप प्रायोरिटी दे कर पीने के पानी की सुविधा देनी चाहिए थी। पांचवीं योजना पर चर्चा करते समय भी स्थिति यह है कि साढ़े पांच लाख गांवों में से एक लाख गांव पीने के पानी के अभाव में तड़प रहे हैं? क्या यह शोभनीय है? क्या संविधान ने कहा था पानी की व्यवस्था न करो? उन्होंने यह भी कहा कि खेती का

विकास नहीं हुआ। नवदा बार बार गांवों में घुस रही है, उसका फैसला नहीं होता, उसके पानी का उपयोग खेती बिजली के लिए नहीं होता। कृष्णा गोदावरी का झगड़ा 1951 से चालू है आंध्र महाराष्ट्र और मैसूर के बीच में। यह हल नहीं होता। कावेरी का जल विवाद—तमिलनाडु और मैसूर का झगड़ा और अब उस में केरल आ गया वह भी हल नहीं होता, चंडीगढ़ का नहीं होता, बेलगांव का नहीं होता। मुख्य मंत्री कौन बने यह नहीं होता। संविधान क्या करे इस में? नदी के पानी का उपयोग करना यह तो गंभीरता के समय से इस देश में परम्परा चली आई है, स्वर्ण से निकलने वाली गंगा हिमालय की छत पर बेकार चली जाती थी। गंभीरता प्रयत्न करके उसको अपने देश की भूमि पर लाए, उत्तर प्रदेश और बिहार, उसी से फले फूले इतनी बड़ी परम्परा होने के बाद भी नदी का पानी यहां पर बेकार चला जाता है, हमें शर्म आनी चाहिए। इस में संविधान का सवाल है ही नहीं: ग्राम विकास करने से हमें किसी ने नहीं रोका। हम खेती की पानी दे सकते थे। लेकिन नहीं दे सके क्यों? कि जो एक हवा में उड़ना शुरू हुआ वह आज तक चालू ही है। पहले आप लोगों को लगा कि समाजवाद का नाम लेते ही एकदम सब हो जायगा। 1954 में समाजवाद का नाम लिया। हुआ कुछ नहीं। फिर कहा कि सहकारी खेती होनी चाहिए। क्यों नहीं की? क्यों नहीं कर के दिखाई? यानी चार लोग इकट्ठे आ कर सहकारी खेती नहीं करते। ठीक है। आपने सरकारी फार्म बनाये उनका क्या रूप रहा, वह देखा न हमने केरल के फार्म में। यह सरकारी फार्म की हालत है। कौन सा आप का फार्म सफल है? कौन सा आप का उद्योग है? आप गाली देते हैं टाटा को विरला को लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो मालूम होता है पासा दो सौ करोड़ का चार सौ करोड़ हो गया 6 सौ करोड़ हो गया और अब 8 सौ करोड़ हो

५

गया। आप को किस ने रोका था। आपने भी पूजा लगाई थी और पूजा लगाने के बाद वह जैसे मुनाफा कमाते हैं वैसे आप क्यों नहीं कमाते हैं रांची इंजीनियरिंग कॉलेज में 212 करोड़ किपजी लगाई और 100 करोड़ का घाटा उठाया। यह कोई नतीजा है यानी कौन सा उद्योग है, या खेती है फोन मी चीज ऐसी है जो आप ने दिखाई हो? ठीक ढंग से करके खेती हाथ में ली, ठीक ढंग में नती चला मके, उद्योग हाथ में लिया, ठीक ढंग में नती चला मके फूड बायंपोरेन हाथ में लिया, ठीक ढंग में नती चला, सुपर बाजार खोला, ठीक ढंग में नती चला मके। बहुमत वाली मिनिस्ट्री फार्म की वह भी ठीक ढंग से नहीं चर मकी। तो सविधान क्या करेगा इसके लिए? आप को करना ही नहीं है कुछ (यशवान)

मम्पनि पर अब मैं आता हूँ। मम्पति का केन्द्रीयकरण हुआ। किसने किया? यह लाइसेंस किसने दिए? एक ही घर को लाइसेंस किसने दिलाए? बिरला को बास की रायल्टी किसने दी? इतने कम दामों पर उसको बिजली किसने दी? आप लोगों ने ही सब कुछ मंजूर किया? हिन्दालियम में जो बिजली दी जाती है बिरला के लिये और किसान को जो बिजली दी जाती है पम्प के लिये उसमें जो असमानता है, वह असमानता करने वाले कौन हैं? आप ही लोग हैं। इस सारे को ले जाकर देश की आवाजी बंदी है, टन पर थोपना यह और भी उगे अजीब बातें हैं। राणी आवाजा पड़ा नहीं हागी ना यह सारा कुछ हम कर बिना पिय रहे हैं? पियके पिय चायिये फिर यह सब कुछ? आवाजी बंदी, प्रागे चलकर जो प्रजा यह पर पैदा होगी, उस में मुख मुविधा मिले इसलिये दिमाग लग कर कर्त्तव्य की भावना के साथ हम कुछ करे यह तो कोई बात होती है। और अगला रास्ता जो बन्द कर दिया तो हम आगे जाकर करेगे क्या? आगे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मानवीय कृत्तव्य का विकास तब होता है जब उनके सामने कुछ आह्वानिक चैलेजेज हो। जब हम को

यह पता चलेगा कि हमारे सामने इतनी बड़ी भारी साकत जो है इसको खिलाना है, पिलाना है, तब आकर अपना दिमाग हम काम में लगाएंगे। क्या हमारी भूमि काम नहीं देगी? क्या यहाँ हमारे पाम माधन के खोन नहीं है? क्या यहाँ पर उत्पादकता नहीं है? रंगा पानो नहीं है? क्या नहीं है? यह यहाँ पान की हम योगा ने कोशिश की है क्या? यह हमारे सामने मतलब है। आज प्रारम्भ मम्पनि अरन बीच में मतलब है ना मैं पम्प बाव पूछना चाहता हूँ। यह पितना भी आप मान बनाए, चाहे यहाँ इंडियन पीनल कोट और किमनन प्रोमीजर कोट ममी कुछ आप तब दोन कर ले उसमें क्या कुछ होगा? चोरो करने में सज्जा होनी है, लेकिन क्या चोरिया बन्द हुई है। यह जो प्रवृत्ति है चोरी करने की इसको कैसे रोकना जाये? क्या आप लोगों ने ठीक नहीं मशीनार किया—दि टिनर आफ दि सोयल शुड वो दि ओनर? जोतनेवाला किमान जमीन का मालिक बने, जो खुद जोने नहीं वह क्यों मालिक बनना चाहता है? हम ने सज्जा किया था, उस का जबाब आया है—मन्त्रियों के नाम आये हैं जिन को पत्निया के नाम पर जमीनें हैं मैं उन का नाम यहाँ लेना अच्छा नहीं समझता। पत्नी के नाम पर जमीन, मकानात क्यों होने हैं एक भूतपूर्व मंत्री की पत्नी के नाम पर दिल्ली में बगान है—रानू रंग करेगा, मन्त्रियान क्या करेगा?

मसाल यह है कि मन में जब यह धारणा है कि जो अज्ञात करेगा वह मरे लिये नहीं, है—यह सवाल भिन्न मम्पति का नहीं है सम्पत्ति ना। तब तो है—तब की आरंभ मन की भा है—यह था। दगा? इसके लिये कोई मन्त्रियान नहीं है। राजाजी के पूर्व तन-मन-धन की शक्ति देश में लगाने की बात थी, वह अब कहा है? हम कहते हैं कि ब्रेन-ड्रेन होता है, भारत का टेलेंट बाहर जाता है, उनको लगता है कि पैसा चाहिये—मैं पूछता हूँ कि पिछले 25 सालों में आप ने यह भाव पदा क्यों नहीं किया—

[श्री जगन्नाथराव जोशी]

I am not a prostitute in the international market to be purchased and sold.

यह कैसे हुआ कि मेरी बुद्धि कोई भी खरीद लेता है, जो ज्यादा पैसा देता है, जो ज्यादा विबड करे, मैं उसके लिये हाँ करूँगा। मेरी बुद्धि का उपयोग मेरे देश के लिये हो, मन की शक्ति का उपयोग मेरे देश के लिये हो, तन की शक्ति का उपयोग मेरे देश के लिये हो—यह वातावरण पैदा नहीं किया। कैपिटलिस्ट जो उद्योग में पूँजी लगाता है, वही पूँजी नहीं है—भ्राज जो लम्बी लाइन में लगकर टिकट लेकर सिनेमा देखता है, जिन को हम कामन-मैन कहते हैं—उन सिनेमा स्टारों के पास जो प्रापर्टी है, जो इकट्ठी होती चली जा रही है, वह दान के रूप में समाज में कैसे आयेगी—कभी सोचा है? कभी किसी सिनेमा स्टार को आपने पिक्चर में देखा है कि वह गाय को खिला रहा है, उस को धो रहा है, उस का दूध निकाल रहा है वे तो कुत्ते का पिल्ला इंग्लैंड से लेकर आते हैं, उसको जेटानिया बिस्कुट खिलाते हैं। आखिर सम्पत्ति होने के बाद उस का उपयोग यहां है क्या? यह भाव पैदा क्यों नहीं किया गया, संविधान इस के लिये क्या करेगा?

खेती जोतने वाले को खेती मिलनी चाहिये, पत्नी के नाम पर जमीन लेना और खुद न जोतना—यह नहीं चलेगा। मैं तो इसके लिये प्रधान मंत्री जी को भी जिम्मेदार समझता हूँ। जब अपने परिवार में कोई नहीं जोतता है, तो फिर 4-5 एकड़ खेती क्यों रखनी चाहिये—यह समझ में नहीं आता है। कम से कम एक किसान का तो सला होता। मैं आप को बताना चाहता हूँ—

यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवैतरो जगः
स यः प्रमाणं कुर्वते लोकस्तदनुवर्तते ।

आपको प्रमाण जान कर जनता उसके अनुसार बर्तन करती है। इस लिये जो हायेस्ट-

एट-दि-टाप हैं उन का बर्तन बिल्कुल मुह होना चाहिये, ताकि उन को देख कर दूसरा अनुकरण करे। जब स्वयं वे ही लोग जो समाज के सामने आदर्श बनने के लिये तैयार हैं, चोरी-छिपे पत्नी के नाम पर, साली के नाम पर, पत्नी के भाई के नाम पर ऐसा करते हैं तो उससे समाज के अन्दर क्या प्रवृत्ति पैदा होगी? इस लिये यह कहना कि भ्राज का जो संविधान है, वह इतना लचीला है कि वास्तव में हम जो करना चाहें, वह कर सकते हैं, तो एक बार यदि इस पर आ गये कि खबरदस्ती कर के हर एक को उसकी प्रापर्टी से निकालेंगे तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि तन के बारे में क्या करेंगे?

You will come to regimentation that. Are we heading towards regimentation.

भ्राज भी समाज के अन्दर संस्कार नाम की कोई चीज है, उस को भूलें नहीं। भ्राज भी लड़की होने के बाद उस के लिये अच्छा वर ढूँढ कर क्यों देते हैं—क्योंकि वह समाज का संस्कार है—वर ढूँढ कर देना चाहिये। लेकिन जब हम कहते हैं कि वह मजदूर जो खेती करना चाहता है, जिन के पास साधन है, उन को खेती दे दो, तो लगता है कि क्यों हूँ, किन्तु मन में यह नहीं आता कि मेरी आठ लड़कियाँ हैं उन को भी न हूँ—इस लिये कि यह संस्कार है। लड़की भले ही तेरी हो, लेकिन दामाद तो ढूँढ कर दे दो, क्योंकि भ्राज समाज को चलाना है, सब कुछ अपने घर में रखने का इस में सवाल नहीं है। सामान्य आदमी में यह अन्तः प्रवृत्ति होती है कि वह ज्यादा पैदा करता है, इस लिये कि उन को ज्यादा पैदा करने का अधिकार है, किन्तु ज्यादा खाने का अधिकार नहीं है। हमारी गीता ने कहा है—

स्तेन एव सः

आवश्यकता से ज्यादा जो नैबेस के रूप में स्वीकार करता है, वह तो बोर है। इस शब्द का प्रयोग गीता ने किया है। इसी तरह संविधान है, वह किताब गलत नहीं है, गलती कहां होती है, उस को समझ कर व्यवहार में लाने में गलती होती है। इस लिये आज संविधान को जिम्मेदार समझना सारी बुराइयों, सारा दोष संविधान में है, मैं इस को नहीं मानता। कई प्रश्न तो आप ने स्वयं निर्माण किये हुए हैं, अपनी गलत नीतियों के कारण निर्माण किये हुए हैं, जिस को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

यदि आप यह कहते हैं कि वह संविधान जिन लोगों ने बनाया था, वे डायरेक्टली एडल्ट फ्रेंकाइज से चुन कर नहीं आये थे, तथा आज की जो लोक सभा है, इस को बदलने का अधिकार है, यदि आप का यह विचार है कि हम जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं तो जो चुनाव अभी पड़े हुए हैं — लोक सभा के भीतर विधान सभाओं के उन को कराने से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आप बांका भीतर डिडिगुल में गुल हो गये हैं, तब आप को समझ में आने लगा —

How far and fully you represent the will and wishes of the people.

इसलिये आज के हवा के झकोरे में जो लोक सभा आई है, इसी के बलबूते पर यदि इसी को संविधान सभा में परिवर्तित करना है तो मैं कहूंगा कि खुल रूप में जनता के पास जाइये — क्योंकि जनता का आदेश सुप्रीम है। यहां पर कहना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, कांस्टीट्यूशन सुप्रीम नहीं है — ऐसा कहने से तो काम नहीं बनेगा। मैं पूछता हूं यदि हम पार्लियामेंट को सुप्रीम समझते थे तो प्रधान मंत्री ने कांस्टीट्यूशन का आधार लेकर पार्लियामेंट को कैसे डिजाल्व कर दिया था? हम कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन—

Constitution is intact Parliament was dissolved.

यहां तक कि—

Parliament was dissolved without our knowledge. I was in the train.

हम को तो पता भी नहीं लगा
I am not joking

कंडक्टर पूछने लगा कि पास वापस दीजिये, पार्लियामेंट डिजाल्व हो गई है।

PROF MADHU DANDAVATE:
You must have pulled the chain.

श्री जगन्नाथ राव जोशी :

I never pull the chain because when I am in the train, the train goes so slowly that I need not pull the chain.

हम कहते हैं कांस्टीट्यूशन से हम सुप्रीम हैं।
But Parliament was dissolved taking advantage of the Constitutional position only.

संविधान में जो अधिकार प्रधान मंत्री को दिया गया है उसी के बलबूते पर उन्होंने खत्म कर दिया। हम लिये जब सवाल आ कर खड़ा होता है यह श्रेष्ठ है या जनता श्रेष्ठ है तो जनता की बिल श्रेष्ठ है, जनता सब कुछ कर सकती है। हम लिये यदि नया संविधान बनाना है तो यह काम लोक सभा नहीं कर सकती, आप को जनता के पास जाना चाहिये, जनता जब आप को चुनेगी तब बनाइये। इस के लिये नया चुनाव होना चाहिये, संविधान सभा नहीं बननी चाहिये, यह लोक सभा संविधान सभा नहीं बन सकती, क्योंकि केवल गरीबी हटाओ का नारा देकर आप यहां आये हैं, पिछले 3 सालों में गरीबी नहीं हटी, बल्कि बढ़ी है, साढ़े तीन रुपया किलो मिलने वाला तेल, मैं साढ़े चौदह रुपया किलो में लाया — मेरे जैसा आदमी भी गरीब होने लगा। साढ़े तीन रुपया किलो मिलने वाली चीज यदि साढ़े तीन रुपये किलो में ही मिलती तो मैं कहता कि गरीबी हटी नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं कि गरीबी हटी नहीं, बढ़ी है। इसी को आप जनता का बिल मानें, तो मैं तो

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

मानने के लिये सैबार नहीं हूँ। यह सारा दोष कैसे पड़ा हो गया है, उद्योगों में विकास क्यों नहीं हुआ, उद्योगों के विकास की गति क्यों नहीं बढ़ी ?

कहते हैं कि देश की आबादी बढ़ी है— मैं कादार साहब को बतलाना चाहता हूँ— दुनिया में जो आबादी बढ़नी है, मक्खिको को छोड़ दीजिये, तो फिर हमारे यहां ज्यादा आबादी नहीं बढ़ी है, 2.5 गुना 2.7 से ज्यादा नहीं बढ़ी है, जब हमारा देश ही इतना बढ़ा है तो क्या करें। अगर हमारा देश भी दो ढाई करोड़ का होता तो बात दूसरी थी। हम उस समय 40 करोड़ थे, अब यदि 56 करोड़ हैं तो डेढ़ गुना भी नहीं बढ़ी, यदि 60 करोड़ होती तो डेढ़ गुना होता। इस के मुकाबले जो उत्पादन के आंकड़े मैंने दिखाये थे — आप ने जो डायरी दी है, उस में जो उत्पादन के आंकड़े दिये हैं। वे हर दृष्टि से दो गुना बढ़े हैं, गहूँ चार गुना बढ़ा है, 6 मिलियन टन से 23 मिलियन टन बढ़ा, चावल 22 मिलियन टन से 44 मिलियन टन बढ़ा, अर्थात् दुगुना बढ़ा, दालें भी इसी तरह से बढ़ी हैं, लेकिन इन के मुकाबले आबादी तो डेढ़ गुना भी नहीं बढ़ी—

The root-cause of this population is the sin of marriage. Abolish marriage, ban it Constitutionally, stop it.

यह तो आप लोग करते नहीं हैं, पत्रों में दूध चक्कर में पड़ने हो फिर लोगों को गाली देते हो। मेरे कहने का मतलब है कि देश बहुत बड़ा होने की वजह से, जहां जहां रोक लगाया चाहिये वह लगाया नहीं, पाना का उपयोग करना चाहिये, नहीं किया, जलना का उपयोग करना चाहिये, नहीं किया, उद्योगों में पमा लगा कर मशीन काम कर, जनता को जो लाभ पहुंचाना चाहिये था, वह नहीं पहुंचाया, जिस में संविधान बिल्कुल बाधक नहीं होता, वह सब करना चाहिये था, लेकिन नहीं किया।

स्टेड्स और सेन्ट्स का झगड़ा था—

हम यह मानते हैं कि हमारा जो संविधान है उस का फंडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन सारी स्प्रिट यूनीटरी है। फंडेशन स्टेट्स हैं वे अपनी पावर्स केन्द्र को देती हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, यहां तो सारी पावर्स केन्द्र के हाथ में हैं, इसी लिये हम राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं।

India that is Bharat, Shall be a Union of States. India, that is an ancient nation.

लेकिन यह भावना नहीं है, राष्ट्रपति को मामले रख कर मैं उस का अंग हूँ, यह भाव नहीं है, इसी लिये हर जगह झगड़ा पैदा होता है।

यदि सामन्तज्य का अभाव होता है तो हर जगह झगड़े होते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी में झगड़ा होगा तो हर पार्टी में होगा। इसीलिए यह इन्टर स्टेट रिलेशन्स के झगड़े जो आए हैं, सेन्टर और स्टेट के झगड़े भी जो आए हैं वह इसी वजह से आते हैं क्योंकि हर एक में मेरा और तुम्हारा देखने की कोशिश की जाती है। आपकी गलती यह होती है एक बार बड़ी पार्टी झगड़ा करने लज तो हमारी जैमी छोटी पार्टी भी झगड़ा करने लगेगी, हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि वह कहेंगे कि कांग्रेस झगड़ती है तो हम भी झगड़ेंगे। उनके सामने वह आदेश रहता है। इस तरह आप अपना झगड़ा हमारे घर में भी लाते हैं। यदि आप झगड़ा नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि झगड़ा करना ठीक नहीं है। किन्तु गांव में एक जगह बीमारी शुरू होती है तो वैश्या को भी आती है और विवेकानन्द स्वामी को भी आती है, कोई उससे अछूता नहीं रह सकता। इसलिए बीमारी को रोकने की कोशिश करनी चाहिये। इसलिए मैं मिश्रा जी से कहना चाहता हूँ कि जितनी समस्याएँ हमारे सामने खड़ी हैं उनका विश्लेषण करके देखते कि वह संविधान की बचह से है या नहीं। उसमें अम्बेडकर तो होते जाते हैं।

बीजल गतिमान है उसको चीखट के बन्दार बाधा नहीं आ सकता। परिस्थिति के अनुसार यदि समता है कि यहां बदल होनी चाहिए तो उसकी गुनायश इसमें है। परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना है उसको हम कर सकते हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि हमारे ऊपर जो दायित्व या उमको हमने निभाया है या नहीं? जो बायुमण्डल देश से पैदा करना चाहिए, जो शक्ति है उमको देश और समाज के लिये लगायेगे यह भाव पैदा नहीं किया, शिक्षा में परिवर्तन नहीं किया, गांवों में यदि स्कूल खोले तो बिल्डिंग नहीं है बिल्डिंग है तो मास्टर नहीं है, मास्टर हैं तो तनखवाह नहीं है, तनखवाह है तो बाजार में चीज नहीं है, उपर से नीचे तक सब कुछ गोल-माल है लेकिन क्या हम गोल माल के लिये सविधान जिम्मेदार हैं? सविधान को बोधी ठहराना दूसरों को बोधी ठहराना लाता है। इसलिए यदि नया सविधान बनाना हो तो उसके लिये चुनाव हो, जनता के सामने हम जाये, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सविधान बनायेंगे। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री एम० राम गोपा : रेडडी (निजामाबाद) समापति जी, अभी मैंने जोशी जी के भाषण को सुना। यह उनका भाषण था या प्रवचन था—उसमें फर्क करना जरा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने गीता और वेद के श्लोक तथा मंत्र बताने हुए बड़े अच्छे ढंग से तकरीर की लेकिन जरा मुश्किल। प्रश्नानुवा भी जाहिर हो गई। जो रेजोल्यूशन यहां पर पेश किया गया है, जोशी जी यह समय रहे कि वह गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है लेकिन यह गलत है। यहां पर हर शुक्रवार को नान-आफिशियल रेजोल्यूशन पेश किए जाने हैं, जिस तरह से मिश्रा जी ने यह रेजोल्यूशन पेश किया है उसी तरह से कोई कम्युनिस्ट मित्र भी अपना रेजोल्यूशन पेश कर सकते हैं, अपोजीशन का कोई भी मित्र पेश कर सकता था। ऐसी हालत में इसकी गवर्नमेंट

रेजोल्यूशन समझना और गवर्नमेंट को गाली देने के हद तक भाषण देना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। उनको सिर्फ यह बताना चाहिए था कि कास्टीचयुएंट असेम्बली बनाई जाये या न बनाई जाये। अगर अपने भाषण को उसी हद तक महदूद रखते तो अच्छा होता। वे जितनी भी चीज हिन्दुस्तान में है उन सभी को अपने भाषण में लाये हैं। जहां तक उनकी यह बात है कि कास्टीचयुशन को बदलने की जरूरत नहीं है, उस हद तक मैं जोशी जी से इत्तफाक करता हूँ बाकी उनकी सारी बातें से विरोध प्रकट करता हूँ।

बे उसमें फेमिली प्लानिंग को भी ले आये। मैं कहता हूँ कि दूसरे देशों में फेमिली प्लानिंग के लिए क्या किया जा रहा है और हमारे यहां पर क्या है? हमारे यहां जनसंख्या वाले और मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि आबादी बढ़ाते जाओ।

एक साल नीचे सबस्य जोशी जी से शादी नहीं की है।

श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी : शादी नहीं की होगी लेकिन शादी ब्याह के मामले में बहुत से लोग डेक्लेयर नहीं करते हैं तो उनमें कोई बाधा की बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे देश की पपुलेशन 60 करोड़ के ऊपर हो गई तो मैं समझता हूँ न सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट बल्कि पूरे लोग मिलकर नेशनल गवर्नमेंट भी बनावें तब भी इस मुल्क के लोगों की समस्याओं को हल करना मुश्किल है। इस लिए पूरे कास्टीचयुशन को तो मैं बदलवाना नहीं चाहता लेकिन इस हद तक बदलवाना चाहता हूँ, जिस तरह से हम लोग असेम्बलेंट लाते हैं उसके जरिये से कि किसी आदमी के दो बच्चे से ज्यादा हुए तो तिसरे बच्चे को कोई सोशल वेलीफिट्स नहीं दिये जायेंगे। लार्जमिस्टर साहब से मैं एक किन्ती और करना चाहता हूँ...

[श्री एम० राम गोपाल रेड्डी]

समाप्ति बहोबय : जो विषय है उस पर आप जाइये, आप तो कैमिली प्लानिंग पर आ गये ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मेरे कहने का मतलब यह है कि सविधान को बदलने की जरूरत नहीं है । आप अच्छे कामों के लिए सविधान में संशोधन करते हैं । एक संशोधन और भी करना चाहिए और उसको अगर कर दिया गया तो फिर सविधान को बदलने की जरूरत नहीं रहेगी । वह अमेन्डमट यह है कि अपोजीशन में कोई भी पार्टी 25 मੈम्बरो को भी अगर पार्लियामेंट में भेजे तो उसका रिकग्निशन नहीं होना चाहिए इस मुल्क में ।

समाप्ति बहोबय : जो विषय है उसी पर आप बोलें ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आप बेंब की फ्रान्स में फर्स्ट रिपब्लिक से लेकर फिफ्थ रिपब्लिक तक बनी हैं, कास्टीट्यूशन असैम्बली बनाई, कास्टीट्यूशन को बदला गया लेकिन फिर भी वहां पर स्टेबिलिटी खत्म हो गई है । इसी तरह से जर्मनी में देखें कि फर्स्ट रीच से फिफ्थ रीच तक पांच कास्टीट्यूशनस विभिन्न कास्टीट्यूट असैम्बलीज के द्वारा फ्रेम किये गये लेकिन नतीजा क्या हुआ ? बाद में हिटलर पैदा हुआ और उसने लास्ट रीच को समाप्त कर दिया । इस लिए मैं नहीं समझता कि सविधान को बदलने से समस्या हल हो जायेगी ।

मैं जोशी जी से इत्फाक करता हू कि हमारी योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है । सही इम्प्लीमेंटेशन से सही रिजल्ट्स निकलते हैं । इस लिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए अच्छा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए । लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो अपोजीशन पार्टियाँ हैं वह बड़ी बाधाएं पैदा कर रही हैं । (अभ्युत्थान) मैं कह रहा हू कि इम्प्लीमेंटेशन में कोई गलती नहीं है हुकुमत की

तरफ से लेकिन अपोजीशन वाले इम्प्लीमेंटेशन में रोड बटका रहे हैं । अगर अपोजीशन वाले भी अपनी जिम्मेदारी महसूस करें और सही कदम उठाएँ तो फिर हमारा कास्टीट्यूशन अच्छी तरह से लागू हो सकता है । कास्टीट्यूशन के जरिये हम जो भी लाभ उठाना चाहते हैं उस को हासिल कर सकते हैं । हम देखते हैं एलैक्शन होने के दूसरे दिन ही अपोजीशन वाले बन्द, हड़ताल, और स्ट्राइक शुरू कर देते हैं और सदन में आकर हुल्लाह करते हैं । मैं कहता हू कि किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता है । वहां पर जो एलक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव होते हैं उन को चार पांच साल का मोका दिया जाता है लेकिन यह अपोजीशन वाले जिस दिन यहां पर एलेक्ट होकर आते हैं उसी दिन से हुल्लाह शुरू कर देते हैं । अपोजीशन के लिए कुछ सीट तो हम लोग जान बूझकर छोड़ देते हैं क्योंकि उनका रिप्रेजेन्टेशन बहुत कम है । अगर कभी दूसरे मुल्क वाला पूछेगा कि यहां पर अपोजीशन की क्या स्ट्रुक्चर है और हम कहें कि वन थर्ड से कम है तो लज्जा की बात होगी । इसलिए हमने कुछ मौका दिया है ।

SHRI P NARASIMHA REDDY (Chittoor) Mr Chairman, Sir, after, hearing the Mover of the Resolution, Shri Bibhuti Mishra, setting out the reasons which motivated him to move this Resolution before us, I would like to place before the House for consideration certain grounds for not accepting the Resolution.

It is no doubt true that 25 years of independence has not given satisfaction not only to Shri Bibhuti Mishra but to many others, both in this House and outside in the country. The objectives set out in the Constitution, namely, to bring in social and economic justice in the country, that has not yet been achieved. So, I can appreciate the righteous indignation of the Mover which has motivated him to bring forward this Resolution.

But the reasons given by him and those who followed him while supporting the Resolution do not, in my opinion, disclose valid reasons for rejecting the present Constitution lock, stock and barrel and convening a Constituent Assembly for drafting an entirely new Constitution. The primary concern expressed by the members was that in spite of our independence and Constitution, we have not yet succeeded in removing casteism, regional disparity, mass poverty and illiteracy from our country. But we must remember that mere constitutional changes will not abolish the prevailing disparity or even the existing poverty from the country. No Constitution by itself has ever done it because it does not flow from the Constitution as such.

If you go into the reasons given for convening a Constituent Assembly for drafting a new Constitution, in my opinion, it is a disastrous course which would lead to disastrous results in the country. Shri S. A. Kader, who partly supported the Resolution, said that the basic structure of the Constitution has got to be changed if the future of the country is not to be jeopardised any further. He has also suggested that the federal structure has got to be given up in favour of the unitary structure. According to him, because the country is divided into many States nobody is responsible for anything that happens in this country. If that is his contention, the States may as well say "we will take care of all the problems; let us abolish the Centre". Such a course would open the Pandora's box of controversy, many divisive forces will come into the open which may undermine the very integrity of the nation.

I do not know why some people say that our Constitution should be changed lock, stock and barrel. Immediately after the judgment in the Golaknath case, in which the Supreme Court had held that the Parliament

has got very limited powers with regard to the amendment of the fundamental rights, one could have said that a road block is existing in the way of achieving social justice because of this judgment.

If this resolution had been moved in such a situation, certainly everyone would have supported it because then there was no other go on account of that judgment of the Supreme Court which put a block on the amending powers of Parliament. Now such a situation no longer exists. Both the 24th and 25th Amendments to the Constitution have been held valid by the Supreme Court which has said that Parliament is supreme in respect of the amendment of this Part of the Constitution also. Therefore, in such a situation, to demand that the present Constitution should be abolished and a new Constituent Assembly should be convened to draw up a new Constitution is unimaginable and unnecessary. Therefore, I do not support this Resolution. In fact, I appeal to the mover of this Resolution to withdraw it.

SHRI MURASOLI MARAN (Madras South): M. Chairman, Sir, I congratulate the hon. Member, Shri Bibhuti Mishra, for having brought forward this Resolution which is thought-provoking. I welcome this Resolution because we can demonstrate to the nation and to the world that there are many people who are not at all satisfied with the present Constitution.

As regard his Resolution, I may not like the first part, "that the present Lok Sabha may be declared as a Constituent Assembly". But I am for a new Constituent Assembly to frame a new Constitution and to create a Second Republic.

My grouse against the present Constitution is that it is not at all federal. According to the Administrative Reforms Commission, our Constitution is neither federal nor unitary. We can very well say that it is a hybrid type

[Shri Murasoli Maran]

of Constitution. We all know that the Constituent Assembly met in the historic Central Hall just to frame a Constitution in incorporating the Cabinet Mission Plan. Actually, the Cabinet Mission Plan though of giving only foreign affairs, defence and communications to the Central Government and all the rest to the States.

Unfortunately, Pandit Nehru who was the leader of the Congress then, on 10th July, 1946, in a press conference at Bombay threw a bomb-shell on this entire scheme. In one of his unguarded moments, he created certain doubts. He declared that the Congress was entering the Constituent Assembly and it may change, at its own pleasure, the entire Cabinet Mission Plan. It came as a bomb-shell and Mr. Jinnah went back to his shell and declared that no force on earth can stop Pakistan. That is why the Cabinet Mission Plan did not come into being. We saw the partition of the country and, recently, we saw one more nation emerging on the eastern side.

Until June 3, 1947, when Lord Mountbatten announced on August 15, that England will recognise two Indian States, the Constituent Assembly was working on a minimal federation in the sense that the Centre will be having only defence, foreign affairs and communications. So, many Committees were formed to go into that kind of scheme only. But, unfortunately, as the events turned out, after the creation of Pakistan, all the members of the Constituent Assembly changed their mind. The phobia of partition was there. So, the pendulum swung from this end to the other end, from the minimal federation to the maximal federation.

Secondly, my grouse against the Constitution is that even though we declare, "We, the people of India...in our constituent Assembly...do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution", it is not true. First of all, as Shri Bibhuti Mishra pointed

out, the Constituent Assembly members were not elected on adult franchise. As we elect the Rajya Sabha Members, the election was an indirect one and the member of the Constituent Assembly got elected by the 1935 Scheme, who were all property owners. That is why those property owners created a Constitution to protect the property and it was convenient for them to have a big common market. That is why we find too much centralisation in our Constitution.

Even then, in many parts of the world, whenever they made a constitution, it was put to the people in the form of a referendum. It was not done in India. Even if the Constitution were put to the people, it is true, the Congress would have got the majority. There is no doubt about it. But they did not do it. If they had put it to the people, at least those who contested could have studied the Constitution or the people would have got some kind of involvement in the Constitution. That opportunity was lost.

The famous author, Mr. Granville Austin, in one of his celebrated books had analysed the correspondence that took place with the Congress High Command and the local zila and taluk Congress offices. He analysed all the correspondence. Not a single correspondence contained any detail or any discussion about the Constitution. Even in 1948, when there was a Conference at Jaipur, at the time the draft Constitution was ready, nobody in that conference discussed about the draft Constitution.

So, according to that author, the entire Constitution was prepared by obligarchy; a small group of people worked on the Constitution. So, even the Constituent Assembly members, the Congress members, and the people were isolated from Constitution-making.

With the shadow of Pakistan, we created a new type of Constitution, a hybrid type of Constitution which is neither unitary nor federal. In fact, according to experts like Basu and Iyer Jennings, we borrowed 75 per cent of the clauses and articles from the 1935 Act. That is why, many people call the present Constitution as a palimpsest copy of the 1935 Act. They forgot the Gandhian Principle that decentralisation should be the goal. At that time there were leaders like Panditji, Sardar Patel and Azad who were really God-like. They all thought that Congress would be ruling for ever. That is why, it is a Constitution prepared for a perennial Congress rule all over the States.

All the nation-building activities like education, health, road-building, etc., fall under the State Governments. But they have no financial resources commensurate with their duties. That is why we find that the Chief Ministers or Finance Ministers of the States come to Delhi with begging bowl in their hands...

AN HON. MEMBER: It is a distortion.

SHRI MURASOLI MARAN: Shri Virendra Patel, when he was the Chief Minister, used the same expression—'we have to go to Delhi with begging bowl'. Even Mr. Brahmananda Reddy accepted this fact.

So, this is the position. The States, even though they are given the Constitutional duties—all nation-building activities—are not in a position to implement them. In a country as vast as ours, with continental dimensions, with changes in cultures, languages and even in food habits, this kind of Centralised Constitution will never work, will never deliver the goods. The other day, Shri Shyamnandan Mishra was saying, in India there are no States but only estates of Central Government. That is what we are seeing now.

The Administrative Reforms Commission went into the provisions of the Constitution regarding Centre-State relations. They have agreed that there are frictions. But their conclusion was not to change the Constitution they suggested that the spirit of the Constitution should be looked into. What is the spirit? Nobody knows. We know how article 356 is being misused to subvert all the State Governments. At the time of enactment, Dr. Ambedkar said that that article would be a dead letter. Where is the spirit of the Constitution? It is flouted every day and every minute. I want to finish my speech with one quotation in the Constituent Assembly Prof. Ranga said:

"One of the most important consequences of over-Centralisation and the strengthening of the Central Government would be handing over power not to the Central Government but to the Central Secretariat. From the chaprasi or daffedar of Central Secretariat to the Secretary there, each one of them will consider himself a much more important person than the Chief Minister of a province and the Chief Ministers of provinces would be obliged to go about from office to office of the Centre in order to get any sort of attention at all from the Centre."

This has come true. Recently we saw that one Chief Minister, during his short tenure of one year, had come to Delhi about 110 times. Such is the position. That is why the need to change the position..

SHRI S. A. SHAMIM (Srinagar): He has got a house here.

SHRI MURASOLI MARAN: I mean the other Chief Minister.

That is why we demand that, to deliver the goods, India should have a purely federal Constitution and we should have a Second Republic based on the principles of State autonomy.

श्री भूषण कृष्ण (पाली) : संविधान एक बड़ा कठिनाई वाला दस्तावेज था और आज भी है। संविधान में हम जो चाहें संशोधन 358 के अन्तर्गत कर सकते हैं। इस पार्लियामेंट को संविधान में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार है। 24 और 25वीं एमेन्डमेंट्स पास होने के बाद तो इस अधिकार का विस्तार हो गया है। अब तो जिस किसी किस्म का संशोधन हम संविधान में करना चाहे कर सकते हैं। हम को याद रखना होगा कि हिन्दुस्तान एक है और तमिलनाडु के भाईयों को भी इसको याद रखना होगा। तमिलनाडु में दो अरब की प्रोजेक्ट बन सकती है, राजस्थान केनाल बन सकती है। देश की एकता को खतरा है इस तरह की बातें कहने की जिन को आदत है और जो यह कहा जाता है कि हम को पूरे अधिकार प्राप्त नहीं हैं, यह ठीक नहीं है। राजामन्नार की रिपोर्ट निकली। तमिलनाडु वाले कई बार उसका उल्लेख करते हैं। अलग ग्रुप में मेरे मोचने की कोशिश करते हैं। संविधान में यह बात नहीं है। भारत एक है और उसकी सारी स्टेट्स का विकास होना चाहिए। इस वास्ते सवाल यह नहीं है। संविधान के अन्तर्गत जो हमने उद्देश्य बनाया था राज-नीतिव्यवस्था अममानना मिटाने के बाद और जो गरीबी मिटाने का विषयता हटाने का उद्देश्य अपने सामने रखा था अगर वह प्राप्त नहीं हुआ तो हम में संविधान का कोई दोष नहीं है। हजारों मन गीता की प्रतियाँ बिकने के बाद अगर एक भी गीता के श्लोक को कोई नहीं समझता है या उसके गुणों को नहीं लेता है, रामायण पढ़ने के बाद अगर कोई उसके गुणों को ग्रहण न करे तो इस में गीता या रामायण का कोई दोष नहीं है। संविधान को आप दोषी न ठहराये। संविधान में कई एमेन्डमेंट्स हो चुकी हैं। आप कहते हैं कि स्टेट्स को पूरी पार्वस नहीं हैं। यह बात नहीं है। सवाल यह

है कि संविधान के कारण क्या कोई कठिनाई हमारे देश में आई है?

हमारे मित्र ने कहा कि जो संविधान बनाने वाले थे वे बड़े पंडितपति थे, कैंटिलिफ्ट थे। सारे संविधान में इस तरह की कोई बात नहीं है। उस में तो यह है कि विषयता को कम करना होगा, डिस्पैरिटी को मिटाना होगा। उस तरफ अगर हमारे कदम नहीं उठते हैं तो उस में संविधान का दोष नहीं है। आप कहते हैं कि संविधान नया बनना चाहिये। जिन्होंने सकल्प पेश किया, है उन्होंने वह नहीं बताया कि इस तरह के संशोधन संविधान में होने चाहिए। गोलकनाथ के केस के बाद और साथ ही सज्जन सिंह के केस के बाद जो जागरूकता खत्म की गई है और कस्ट्रेंशन और बैलेंस का सवाल था वह तो खत्म हुआ और उससे भी आगे हम बढ़ गए हैं। ऐसा एमेन्डमेंट करने के बाद सम्भव हुआ है। कोई भी आदमी सम्पत्ति को कस्ट्रेंट नहीं कर सकेगा। अब उसके बाद क्या रह गया है? बिना मतलब की बात आप कहते हैं। न तो प्रस्तावक ने और न ही तमिलनाडु से आने वाले मित्र ने बताया है कि दोष आर दी धिक्क। न ही माननीय सदस्य ने यह बताया है कि संविधान में क्या बर्बादी है। अरब में कमी तो हमारे एक्शन में है। अगर हमने वे कदम नहीं उठाये, जो हम को उठाने चाहिए थे, तो इस में संविधान का क्या दोष है?

17.00 hrs.

अगर स्टेट्स में अष्टाचार है, तो संविधान ने स्टेट्स को पावर दी है। क्या संविधान कहता है कि अष्टाचार बनना चाहिए? क्या संविधान कहता है कि गरीबी दूर नहीं होनी चाहिए? संविधान ने तो कहा है कि गरीबी दूर होनी चाहिए और सब लोगों को आगे बढ़ने के लिए बराबर मौका मिलना चाहिए।

यह विस्तृत श्रुत बात है कि जिन लोगों ने संविधान बनाया, वे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्हें संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। अगर उस में कोई संशोधन करना है, तो वह संशोधन वह पार्लियामेंट ही कर सकती है। प्राइमेट मंत्री संविधान में संशोधन करने के लिए विधेयक रख सकते हैं और रखते हैं एक नया संविधान बनाने के पक्ष में जो कारण दिये गये हैं मैं उन को समझ नहीं सका हूँ। आज आवश्यकता इस बात की है कि स्टेट को देश का आगे बढ़ाने और गरीबी को मिटाने के लिए कानूनी कदम उठाने चाहिए। संविधान ने इस के लिए बहुत व्यापक अधिकार दिये हुए हैं। देश की गरीबी को दूर करने के लिए कोई नया संविधान बनाने की जरूरत नहीं है।

सभापति महोदय . इस रेजोल्यूशन का वहम के लिए दो घंटे निर्धारित किये गये थे। यह बहस 3-37 वजे शुरू हुई थी है। साढ़े पांच वजे नियम 193 व अधीन चर्चा है।

I seek the sence of the House What should we do with this?—Shall we extend the time?

SOME HON MEMBERS Yes

MR CHAIRMAN I will call the Minister at quarter to six

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H R GOKHALE) Sir, you may please call me at 5-30 I will not take much time I will just take five to seven minutes

श्री मधु लिंगे (बाका): सभापति महोदय, श्री विभूति मिश्र ने जो सकल सदन के सामने रखा है मैं उस की बुनियादी बात से सहमत हूँ और वह बात यह है कि वर्तमान संविधान बहुत असंतोषजनक है, उस में खामिया तथा त्रुटिया हैं और उस में छोटे छोटे परिवर्तन करने से बह ठीक नहीं होने वाला है। सरकार 30, 31 परिवर्तन कर चुकी है।

इसमें सी परिवर्तन किये जायें, लेकिन जब तक हम इस के ऊपर बुनियादी और पुनर्विचार नहीं करेंगे, तब तक इस में कोई सुधार होने वाला नहीं है।

श्री मिश्र नई कांस्टीट्यूट एसेम्बली की मांग आज कर रहे हैं। लेकिन मेरे दल ने इस भाग को 1946 में ही उठाया था और हम ने कहा था कि जो कांस्टीट्यूट एसेम्बली अंग्रेजों के द्वारा सगठित की जा रही है, उस में हम लोग सम्मिलित नहीं होंगे और हमारे जो बुजुर्ग नेता थे—आचार्य नरेन्द्र देव, श्री जय प्रकाश नारायण और डा० राम मनोहर लोहिया उन्होंने उस कांस्टीट्यूट एसेम्बली का बहिष्कार किया।

उन्होंने ऐसा क्या किया था ? उनका कहना था कि कांस्टीट्यूट एसेम्बली के लिए सीधा चुनाव होना चाहिए, लेकिन वह अप्रत्यक्ष ढंग से चुनी हुई कांस्टीट्यूट एसेम्बली थी। और अंग्रेजों के जमाने में अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए फ्रैंचाइज मनदान का अधिकार मुश्किल से 19 प्रतिशत लोगों को प्राप्त था। इस के अनिश्चित रिगामनों के जो प्रतिनिधि थे, वे नामजद किए हुए थे। हमारे ये तीन मुख्य आक्षेप थे (1) बालिग मनाधिकार पर कांस्टीट्यूट एसेम्बली का चुनाव नहीं हुआ है, (2) उस के दो-तिहाई प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने गये हैं और (3) एक-तिहाई प्रतिनिधि—रिगामनों के प्रतिनिधि—तो सीधे नामजद किये गये हैं।

जो संविधान बना, उस में जो बड़ी बड़ी खामिया हैं उन्हीं की ओर मैं आप का ध्यान दिखाना चाहता हूँ। संविधान में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो भेद किया गया है, वही सारे झगड़े और विवाद की जड़ है। उस भेद के कारण एक कृत्रिम बहस, एक नकली बहस, हमारे देश में चल पड़ी है। मैं चाहूँगा कि इस भेद को खत्म कर दिया जाये और मौलिक अधिकारों का पुनर्निर्माण किया जाये। कैसे किया जाये ? इस के बारे में मेरे तीन सुझाव हैं :

[श्री मधु सिन्हा]

मैं नहीं चाहता कि धार्मिक 19(1) (एक), जो सम्पत्ति के बारे में है, धार्मिक 31, 31 ए, 31बी 31सी का मौलिक अधिकारों में समावेश हो। अगर इस बारे में कुछ रखना ही है, तो यह रखना चाहिए कि सम्पत्ति, आमदनी और खर्च पर सीमा, लिमिट लगाई जाये और जिस के पास उस से अतिरिक्त सम्पत्ति हो, राज्य को उस को बिना मुआवजा दिये अपने हाथ में लेने का अधिकार होना चाहिए। वह लिमिट एक लाख रुपये की हो या दो लाख रुपये की हो, लेकिन कोई न कोई लिमिट जरूर होनी चाहिए। हम इस बारे में व्यावहारिक ढंग से बात करने के लिये तैयार हैं।

सम्पत्ति और आमदनी के साथ साथ खर्च पर सीमा, लिमिट लगाने की बात मैं इस लिए कह रहा हूँ कि आज बल कुछ लोग सोचते हैं कि अपनी संपत्ति तो रखेंगे नहीं, किन्तु पूरा राष्ट्र की संपत्ति का भ्रम मात्र है। सम्पत्ति समझेगा और खर्च करेगा। इस बात पर शाही और मंत्रीपदों का भरोसा नहीं है।

निर्देशक मिद्वान्ता में बहुत फावत है। जैसे उदाहरण के लिए राजा का निर्देशक मिद्वान्ता है लेकिन सरकार द्वारा खाली चली जा रही है। यह सम्भवता और ढांग क्यों है। इस में प्रश्न है कि शासक वर्ग की निदेशक मिद्वान्ता में से निकाल दिया जाय।

निर्देशक मिद्वान्तों में यूनिकार्ड मिदिल कोड की बात भी कही गई है। सरकार इस के द्वारा मुमलमानों का चिढाती है। डराती है और फिर कहती है कि हम यह नहीं करेगे इस तरह वह वोट हड़पना चाहती है। इन बातों को निर्देशक मिद्वान्तों में से निराल देना चाहिए।

निर्देशक मिद्वान्तों में मुफ्त और प्रतिवाय शिक्षा की व्यवस्था करने का भी उल्लेख है। मैं चाहूंगा कि यह शिक्षा समान, मुफ्त

और परिवारों हो। मैं इस के "कमल" इस किंद कोफ़ा कहता हूँ कि यदि कमल के ही पत्तिलक स्कूल, जो बसतप में पत्तिलक नहीं है, और साधारण स्कूल का फर्क किया जायेगा, तो फिर सवाबबाद, समानता और लोकल जस्टिस प्रादि कुछ भी चलने वाला नहीं है। अगर मेरे मित्र, श्री पील मोदी, और हम लोग एक स्कूल में पढ़ते, तो श्री पील मोदी किसी दूसरे ढंग के धादमी, बहुत अच्छे धादमी बन गये होते। म्युनिसिपल और गरीबों के स्कूल में पढ़ कर भी मैं किसी भी मामले में किसी से कम नहीं हूँ। यह मैं सबूत के तौर पर पेश कर के कहना चाहता हूँ कि पब्लिक स्कूलों की कोई जरूरत नहीं है।

इसी तरह काम करने के अधिगार को निर्देशक-मिद्वान्ता में क्यों रखा गया है। सविधान में क्या गया है। दि प्रिन्सिपल का फजमेटन उन दि गार्नेन्ग आफ रिन्टी। लेकिन सम्पत्ति इनकी वेर्य है। इस निर्देशक का फजमेटन गाने गाने भी गाना गाना। गार अधि। कहा रही है।

समापति महोदय सम्पत्ति सम्पत्ति को उन्हाट ही रखे गता है। नविन क्या 21व सगायन में ऐम प्रावधान नहीं है जिन के द्वारा वे सब सहायन दिये जा सकते हैं, जिन का उल्लेख माननीय सदस्य कर रहे हैं ?

श्री मधु सिन्हा: आखिर कितने सशोधन एमेंडमेन्ट करेंगे ? मैं पूरा बिना आपके सामने रखूंगा, ता आप मान जायेगे।

अब मैं मौलिक अधिकारों पर इसी लिए जा रहा हूँ। मैं यह चाहूंगा कि रोजगार का काम करने का अधिकार और पब्लिक प्रसिस्टेन्स इन केस आफ अनएम्प्लायमेंट यह भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। मौलिक अधिकार

धीर निर्देशक सिद्धांतों में फर्क यहीं है न—दोनों अधिकार हैं लेकिन एक अधिकार को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं और दूसरे अधिकारों के बारे में आप कोई अदालती कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा और यह बहुत बुनियादी है कि मौलिक अधिकारों को दो बर्गों में बांट सकते हैं। हमारे सविधान में बहुत सारे अधिकार हैं। एवाडें न दिया जाय या टाइटिल न दिया जाय यह भी फडामेंटल राइट है। लेकिन मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के जो अधिकार हैं—क्योंकि ये लोग फडामेंटल राइट्स में हमेशा गडबडी करते हैं, मुझे सम्पत्ति के अधिकार से मतलब नहीं है इस को निकाल दीजिये या इस पर प्रतिबन्ध लगा दीजिए लेकिन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के जो अधिकार हैं भाषण की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्रता इन को मैं विशेष स्थान देना चाहता हूँ और यह मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस को पेश कर चुका हूँ। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बड़े विचित्र हैं। जजमेंट देते समय तो लिखेंगे एमेशनियन फीचर और कहेंगे कि यह ऐसे अधिकार हैं कि जिन के बिना लोक तन्त्र चल ही नहीं सकता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति स्वतन्त्रता के केस के बारे में जजमेंट लिखने का सवाल आया तो इन की दृष्टि में सम्पत्ति के अधिकार हैं और इस अधिकार में कोई फर्क नहीं है बल्कि तराजु का पलड़ा दूसरी ओर ही झुकता है। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में माइकल जोन ने इस सिद्धांत को रखा और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अब इस का उल्लेख होने लगा है। खास कर के वारेन के जमाने से। एक यह सालिसिटर जनरल की किताब है, मैं केवल एक उस में से उद्धरण दूंगा

“Self-government, as the Warren Court sees it, begins with lively, indeed lusty and uninhibited, debate

over issues, candidates for office and the conduct of public officials. Dr. Alexander Meiklejohn argued that whereas other constitutional immunities are restrictions projecting the citizen against, abuse of the powers delegated to Government by the people, the guarantees of freedom of speech and the press are measures adopted by the people as the ultimate rulers to withhold all power over these subjects from their legislative and executive agents. The court adopted something very like this view of the absolute protection to be accorded political debate when Justice Brennan wrote for the court that ‘speech concerning public affairs is more than self-expression. It is the essence of self-government’. In a subsequent lecture, Justice Brennan acknowledge the indebtedness to Dr. Meiklejohn”

तो नया सविधान बने उसमें मैं चाहूंगा कि भाषण की जो स्वतन्त्रता को विशेष स्थान हम लोग दें।

एक ही मुद्दा और कह कर अब खत्म करूंगा।

सभापति महोदय : मैं खुद ही सुनना चाहता हूँ लेकिन आप ने दस मिनट कहा था वह दस मिनट हो गये।

श्री मधु लिवरे : क्या किया जाय लोग बीच में टोकते भी हैं।

मैं अब केवल मद्दा को बताता हूँ। जब क बिब्लेषण नहीं करता हूँ। मैं यह कहता हूँ कि इस सविधान से राज्य और केन्द्र के रिश्ते बिगड़े हुए हैं और राज्यों को हम ने पटवारी का दर्जा दिया है जबकि गोबले साहब और वे सारे मंत्री कलेक्टर हैं। जब इन के मन में आता है। राज्यों को सरकारों का बरखास्त कर देते हैं। इसी तरह मैं राज्य और स्थानीय निकाय जो हैं उन के सबधों का तो जिक्र नहीं है। जिस तरह केन्द्र राज्यों को साथ

[श्री जयू सिन्घे]

पटवारी की तरह सलूक करता है राज्य सरकारें म्यूनिसिपैलिटीज और लोकल बाडीज के साथ भी वही सलूक करती हैं, उन को भी वह पटवारी समझती हैं। आज हरयाने में एक भी म्यूनिसिपैलिटी जीवित नहीं है। सभी म्यूनिसिपैलिटीज को बरखास्त कर दिया गया है कलकत्ता कारपोरेशन को एक आर्डिनेंस के द्वारा बरखास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में चार कारपोरेशनस पांच में से बरखास्त कर दिए गए। अकेले बम्बई की महानगर-पालिका भी जिस को पूरी स्वायत्तता थी। सरकार को अधिकार नहीं था बरखास्त करने का। लेकिन बिगत साल चूक उन्होंने एक रजिस्ट्रार से बोनस देने का निर्णय किया महाराष्ट्र की पानी सरकार ने उस की भी स्वायत्तता को खत्म किया और अब उनके द्वारा जो खर्चा किया जायगा अपनी ग्रामदनी से उस के भदर भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप होने लगेगा। तो ये बिगड़े हुए रिश्ते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसा सविधान बने जिस में सीमित अधिकार वाला केन्द्र, सीमित अधिकार वाला राज्य सीमित अधिकार वाली म्यूनिसिपैलिटीज और अन्य लोकल बाडीज हो। एक दूसरे के अधिकारों पर वे अतिक्रमण नहीं करें और किसी को भी दूसरे को बरखास्त करने का अधिकार नहीं होगा।

अब राज्य सभा को लीजिए। क्या है यह राज्य सभा, यह समझ में नहीं आता है। 30-32 एम एल एज मिल कर इस के सदस्यों को चुनते हैं और कई एलेक्शन पेटिशन में यह साबित हुआ है कि आजकल सोनपुर के मेले में जिस तरह जानवर बिकते हैं उसी तरह एम एल ए भी बिकने लगे हैं। एक ही क्षेत्र में यह साबित हुआ। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सभा की गरिमा को भी अब बढ़ाना चाहिए। आप राज्य सभा को सीधे चुनावों के जरिए चुनिए।

एक मामनीय सवस्य : फर्क क्या करेंगा ?

श्री जयू सिन्घे : फर्क रहेगा। राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य सभा को करना है। लेकिन राज्यों के कोई मामले उठते हैं वहाँ? केवल लोक सभा के अधिकारों को छीनने का और उस का इप्सीकेशन करने का उसको बोहराने का काम राज्य सभा करती है। राज्य सभा का रोल होना चाहिए था कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करे। मैं चाहूंगा कि छोटे राज्यों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाय और बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इन के प्रतिनिधित्व को घटाया जाय। तब जा कर आप की फेडरल हुकूमत ठीक ढंग से चलेगी। और भी मैं चाहता हूँ कि राज्य सभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होजिए। सुरक्षा नीति या बौद्धिक नीति के बारे में अधिकार होजिए जैसे विन की नीति के बारे में लोक सभा को है। न्यायालयों की स्वतन्त्रता का सवाल भी आता है। उस के बारे में मैं इस वक्त नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि एक बिल अटल जी का आ रहा है।

एक मेरा सुझाव जरूर है कि लोक सभा की कमेटियों को राजदूत, न्यायाधीश और गवर्नर इन की नियुक्ति पर—अखबार वाले गलत छापते हैं, मैं लोक सभा को एम्पाइटमेंट करने का अधिकार मिलना चाहिये यह नहीं कह रहा हूँ—इन की नियुक्ति पर इन का नियंत्रण हो। एम्पाइंट वह करे, मैं वह अधिकार नहीं चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह अमेरिका की सिनेट की जूडिशियल कमेटी है जिस में बड़े बड़े चोर पकड़े जाते हैं। ए० बी० फोर्टस आप जानते हैं प्रेसीडेंट जानसन का खास व्यक्ति माना जाता था। जूडिशियल कमेटी की वजह से सारे मामले खुल गए। उन को इस्तीफा देना पड़ा। प्रेसीडेंट मिक्सन के दो जो एम्पाइंट थे उन को सिनेट ने नहीं माना अगर यहाँ हम को मौका होता तो इन के जो एम्पाइंट हैं उन की अजिबियाँ हम उड़ा

देते। नहीं चल सकते थे वह। अगर हम लोगों को भौका मिलता तो मैं आप से कहता हूँ कमेंट्रीयो मे इस तरह से नहीं होता, बहुमत और अल्पमत से मामला नहीं चलता है, आज प्रेसीडेंट निक्सन का इम्पीचमेंट करने की बात रिपब्लिकन पार्टी के भी लोग करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जरा स्वतंत्र बोलें। हमेशा रक्षरमैया जी के ब्युप पर मत चला करिए।

(व्यवधान) मिश्र जी कहते हैं कि बगावत करिए। अरे, बाहर बगावत करने के पहले लोक सभा में बगावत करना सीखिए।

तो बहुत सारे मामले हैं। आप मोचिए कि सशोधन विधेयक के जरिए पूरे सविधान के बारे में क्या विचार हो सकता है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि नई विधान सभा बने और अब बगल के लका देश में बनने के बाद तो मानेंगे कि नई सविधान सभा बन सकती है। लेकिन इन के सुझाव में जबर्जस्त खतरा है। यह बहुत हैं कि वर्तमान लोक सभा को कास्टीड्यूएंट असेम्बली बनाइए। आप घोषणा धड़ी करना चाहते हैं भारत की जनता के साथ? आप ने जब वाट लिया तो सविधान निर्मात्री परिषद् के लिए नहीं लिया। लेजिस्लेचर और वास्टीड्यूएंट असेम्बली में बहुत बड़ा फर्क है। इस लिए मैं रूढ़िवा कि मेरे सशोधन को वह मान लें कि अगर नई कास्टीड्यूएंट असेम्बली बनाना चाहते हैं तो जनता के सामने जाय, जनता को बताए कि आप को भगली लोक सभा को भी चुनना है और कास्टीड्यूएंट असेम्बली को भी चुनना है।

लोगों के साथ घोषणाधरी कर के कास्टीड्यूएंट असेम्बली के अधिकार छीनने का प्रयत्न मत कीजिये। यह बहुत गलत कदम होगा। इस लिये मैं विभूत मिश्र जी के इस सिद्धान्त की सराहना करते हुए भी कि नई सविधान निर्मात्री परिषद् होनी चाहिये, मैं कतई इस बात के लिये तैयार नहीं हूँ कि बोटर्स के साथ घोषणाधरी कर के,

गरीबी हटाओ, बेकारी हटाओ के झूठे नारे दे कर, 500 जीपें लूट कर, जो वोट प्राप्त किया है . (व्यवधान)

अरेक माननीय सदस्य यह झूठ है।

श्री मधु लिमये मैं जानता हूँ कि सत्ता सी करोड़ रुपये की डिफेंस की जीपें हड़पने का प्रयास किया था। जिस प्रश्न को छिपाया गया था, अब मंत्री महोदय का जवाब आया है। इस लिये मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ। आप को ऐसा मेन्डेट प्राप्त नहीं हुआ है कि इस लोक सभा को कास्टीड्यूएंट असेम्बली बनाये। अगर नई कास्टीड्यूएंट असेम्बली बनाना चाहते हैं तो जनता के पास जाइये नया आदेश, मेन्डेट लीजिये और इन अच्छे मिद्धान्तों के आधार पर नया सविधान बनाइये।

हमारा फंडरल रिपब्लिक—अगर आप चाहते हैं—कि चिरस्थायी हो टूटे नहीं, विघटित न हो तो पाकिस्तान के विघटन से सबक सीखिये। शुरू में मुस्लिम लीग आटोनामी वाली थी, नकिन जैसे ही पाकिस्तान बना, केन्द्रीयकरण वाली बन गई। सब यही चाहत थे कि फंडरल रिपब्लिक बनायेगे लेकिन 1947 के बाद उन के बिनाय खराब हो गये। इस लिये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ—बंगला देश की बटना से सबक सीखिये और राज्यों को शुलाभ बनाने का प्रयास न कीजिये, उन की स्वायत्तता और उन के अधिकारों को मानिये। मैं राज्यों से भी कहूँगा—महात्मा गांधी जी ने जो विकेन्द्रीकरण का नारा दिया था, डा० लोहिया ने बीछम्बा राज्य का नारा दिया था, उस पर विचार कीजिये, तभी अच्छा संविधान बनेगा।

*DR. RANEN SEN (Barasat): Mr. Chairman, Sir, I cannot accept the resolution that has been introduced by Shri Bibhuti Mishra. I, however, concede that there are many shortcomings and loopholes in the present Constitution and this has been amply proved by the fact that this very House had to amend the Constitution as many as thirty one times. The Constitution was framed by people, who were elected indirectly getting only 13 per cent votes of population, and comprised mainly of those who were at the higher strata of the society, and because of this, the Constitution contained many shortcomings. Therefore, there is a need for a drastic change in the Constitution but this by itself does not encourage me to support Shri Mishra's resolution. If the Constitution is to be amended then it is necessary to form a Constituent Assembly afresh on the basis of adult franchise. But my submission in this connection is that the present House was constituted in 1971 after a general election on the basis of adult franchise and this House has all powers to make necessary amendments to the Constitution and the latest judgment of the Supreme Court has also confirmed this necessary right of the House to do it. Therefore, there is no doubt that the House has the necessary powers and the Constitution can be and should be amended in the interest of the people just as it had been amended thirty-one times in the past. I would not like to go into the details of the various shortcomings—big or small—that are there in the Constitution but I would only like to stress upon one point only. Sir, this House has all the powers to curb the growth and influence of the capitalists, monopolists and the big-property class in the country and through the various amendments of the Constitution. This House has given these powers to the Government to do needful but my pertinent question in this context is what precise steps the Government have taken to attain this objective. I do

remember, Sir, that during 1967-68, and prior to that also this House had accepted with one voice barring a few reactionaries. The Constitution amendments that were made during these days. But have we really been able to put into action the principles that lay behind those amendments. The last judgment of the Supreme Court has set at rest the controversy raised about the implications of the Fundamental Rights and the Directive Principles of the Constitution. There is no denying the fact that a great majority of the members of this House belonging to different parties sincerely cherish the progress and prosperity of the country as there are equal number of such people outside the Parliament too. But at the same time, there are some reactionary forces who are against it and who want to impede the march of progress. This section of the people want that even if it is necessary to amend the Constitution, then the amended provisions should uphold their interest only

Therefore, there is a constant clash between the forces of progress and the forces of reaction. Such a conflict exists in this House, it exists among the people outside and it exists amongst the different political parties in the country. Therefore, it is necessary to bring about many more changes in the Constitution to keep up the march of progress and it is, at the same time necessary that all the progressive forces both within this House and outside must unite together to see how best the provisions of the Directive Principles, of the Constitution barring a few irrelevant can be implemented in the interest of the people. Such a polarisation of progressive elements is also necessary to thwart the efforts of the reactionary elements in the country who are out to obstruct this march of progress by taking advantage of the shortcomings and the weakness of the Constitution and who are trying to prevent the

*The original speech was delivered in Bengali.

proper implementation of the provisions of the various Constitution Amendment Acts. The question before us today is not the conversion of this House into a Constituent Assembly for the purpose of reframing the Constitution but the real questions before us today is whether or not we are going to amend the Constitution further, if necessary, to uphold the interests of the people and to implement the various measures that we have approved through the various amendments to the Constitution made so far, to put an end to the growth of the monopolists elements, the big-property and big money classes in this country and whether we are going to introduce radical changes in social, political and economic spheres of our country. The path before us has been cleared. We could not achieve these objectives before, but there is nothing that can prevent us now in pursuing our journey to progress and prosperity. It is not necessary for this purpose to convert this House into a Constituent Assembly. Seated in this House we can amend the Constitution and on the basis of the amendment that have been made already, we can suppress the capitalists, monopolists and the big property classes in the country.

With these words, Sir, I conclude my speech.

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): Mr. Chairman, there have been ten speeches made in the course of the debate and there have been many points which have been common and overlapping. I would like to say at the outset that I am not able to support the Resolution of Shri Bibhuti Mishra, nor am I in a position to accept the amendments moved to the Resolution by two other hon. Members.

The discussion in the debate shows that there is misunderstanding that once the Constituent Assembly is set up either by converting this Lok Sabha, or the next Lok Sabha as the amendment wants, into a Constituent Assembly, it is possible to bring about changes which, according to the hon. Members, are necessary to be brought about in the various provisions of the Constitution. The difficulties in the way of declaring the Lok Sabha, either this or the next Lok Sabha, a Constituent Assembly are not only legal but also practical.

I do not think it is necessary at all to declare the Lok Sabha a Constituent Assembly. I agree with the hon. Members that the Constitution was evolved as a result of compromise, it was evolved as a result of circumstances existing at that time. I also agree that the present Lok Sabha is far more representative than the Constituent Assembly which framed this Constitution in as much as the Lok Sabha is elected by adult suffrage and represents the entire mass of this country. The Constituent Assembly was not elected on adult suffrage and included, I concede, the representatives of princes, the representatives of States, some of them nominated and some of them elected by indirect elections. But that does not mean that the Constitution which was framed and which has been here for the last 25 years or more, has not been the result of deliberations leading to the setting up of a democratic structure of government in this country. In spite of the many shortcomings which have been noticed from time to time in the constitutional framework, which have been established by the fact that as many as over 30 times the Constitution had been amended in the last so many years, the fact remains that the broad framework which was evolved by the Constituent Assembly still holds good, that it has taken into account the circumstances which are peculiar to this country, geographical as well as other, and the fact that

[Shri H. R. Gokhale]

it was necessary to evolve a structure which was federal in character, at the same time based on the parliamentary system of government, at the same time based on the principle of preserving the essential freedoms which have been embodied in Part III of the Constitution.

Therefore, I respectfully disagree with the hon. Members that basically the Constitution as a structure has failed to work satisfactorily. I think by and large the constitutional framework has worked satisfactorily. But, even then when the Constitution was framed the founding fathers envisaged, as indeed any constitution-maker would envisage in a written constitution, an amending process as a built-in process in the Constitution itself. That is why article 368 was introduced in the Constitution. As the debates of the Constituent Assembly would show, at that time everyone thought that the power of amendment was as wide as it could be and the Parliament had the power to amend any provision of the Constitution. No difficulty was experienced in exercising this amending power for a considerable length of time and a large number of amendments, including amendments to the Fundamental Rights, were carried on and we proceeded on the basis that Parliament's competence to amend the Fundamental Rights, or, for that matter any other provision of the Constitution, could not be questioned. It was only by a judicial interpretation that article had been interpreted in a narrow way so as to curtail the power of Parliament to amend certain provisions of the Constitution; the Parliament by virtue of the same amending process had to introduce an amendment to amend article 368 itself, which as the hon. Members would remember, is the 24th Amendment to the Constitution. Now by the latest judicial verdict it has been established that the Parliament has the power to amend all the provisions of the Constitution.

I know people will refer to the reference in the judgment to the basic features. Even there, what are the basic features has been indicated. For example, if anyone wants to say that democracy will be substituted by dictatorship, it is a basic feature, because democracy is a basic feature of our Constitution.

By making dictatorship taking the place of democracy, you will be touching the basic features of the Constitution. If you like to go to that extent that we have powers to introduce dictatorship in place of democracy, that certainly, according to the Supreme Court judgment, we are not able to change.

AN HON. MEMBER: Limited dictatorship.

SHRI H. R. GOKHALE: Not even limited dictatorship; whether you call it dictatorship or limited dictatorship

The basic features underlying the framework of the Constitution are that it will be a democracy, that there will be two Houses of Parliament, that people will be elected to Parliament on the basis of adult franchise so far as Lok Sabha is concerned, that it will be a Republic. These are the basic features of the Constitution which, I suppose, no one who is a believer in democracy ever wants to be changed. Therefore, the latest judgement of the Supreme Court, to the extent that it only refers to these matters as the basic features of the Constitution, does not in any way curtail or put a curb on the right of Parliament to amend any provision of the Constitution.

With regard to property right, in order that there should be no doubt in the minds of any critic of the judgment, one learned Judge, who struck a different note with regard to the basic features of the Constitution made it clear in so many words, in an independent paragraph, that no one need believe that he was referring to property right as one of the basic features

of the Constitution. You can amend property right; you can amend any fundamental right; you can amend any provision of the Constitution so long as, for example, you do not go to the extent and say that two Houses of Parliament are abolished; so long as you do not go to the extent and say that India will not be a Republic; so long as you do not go to the extent and say that, here, democracy is substituted by monarchy or dictatorship. Therefore, I for one, would have no quarrel with this limitation if this is the only limitation.

As far as I can see, the majority judgment puts only this limitation on the fundamental right, on the basic right of the Parliament to amend any provision of the Constitution. Under the circumstances, it has been recognised all along, even much before the Golak Nath case, in Sajjan Singh's case and in Shankari Prasad's case, and it has been argued and upheld by the Supreme Court that Parliament functions on two occasions in different capacities. For example, when it amends the Constitution, it functions as a Constituent Assembly body and, when it amends any other law or makes any other law, it functions as a Legislature. Therefore, this Parliament is a Constituent Assembly to that extent.

There is no question of making any declaration either so far as this Lok Sabha is concerned or the next Lok Sabha is concerned, as to say that it is declared as the Constituent Assembly so as to enable it to amend or frame a new Constitution. There is no difficulty whatsoever in making such amendments as the nation regards as mandatory in the interest of the people and as the representatives of people regard as necessary to be carried by an amendment of the Constitution.

There is a legal flaw also. As long as the Constitution stands, you can amend it only by the process given in the Constitution. Even if the Constituent Assembly is set up, supposing

the Lok Sabha is declared as a Constituent Assembly—I am not going into the controversy as to whether it is this Lok Sabha or that Lok Sabha, whichever it may be—even then, the Constitution which it will frame, even if it frames a new Constitution, it will have to undergo the same process that is contemplated by article 368.

श्री मधु लिवदे : 368 को संशोधित करके आप सविधान निर्वाची समिति को बुला सकते हैं आप तो विद्वान् प्रादमी हैं इसको जानते हैं।

SHRI H. R. GOKHALE: मैं विद्वान तो नहीं हूँ लेकिन कहूँगा जो कहा है वह ठीक है।

I do not agree. Even afterwards, it is necessary to follow the constitutional procedure of an amendment in order to bring out a new framework or a new pattern which is accepted. But this is an abstract thing only. The real thing is as to whether it is necessary or not. According to me, it is not necessary at all.

All these changes which Members pointed out in their speeches, different suggestions were made in the course of their speeches, could be made by the present Parliament. Therefore, with respect to the hon. mover of the Resolution and the hon. mover of the amendment, I submit that the Resolution proceeds on a misconception of the powers of Parliament. The Parliament is powerful enough to make such changes as it likes in order to adjust the present Constitution to the required situation which we might want to meet.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): That was conceived in the pseudo-radical euphoria that you have created.

SHRI H. R. GOKHALE: That actually establishes that Parliament exercises the power to bring about changes whenever those changes were necessary, including changes necessary to amend article 368.

I would, therefore, not be in a position to accept the Resolution. I would request the hon. Member to withdraw the Resolution for the reason that, if there are any changes which the Parliament requires to consider, they can be considered by this Parliament itself.

श्री बिभूति मिश्र (मोतीहारी) : चेयरमैन साहब मेरे प्रस्ताव की मंशा का बहुतों ने समर्थन किया है और दो एक भ्रामकियों ने उस का विरोध किया है। जैसे माननीय जोशी जी ने विरोध किया है। अगर जमींदारी अबोलेशन से ले कर के आज तक इन का दल समर्थन किये होता तो हमारा देश कहीं आगे चला गया होता। लेकिन यह बराबर विरोध करते आये और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाते रहे और तंग करते रहे। तो इन का यह कहना कि संविधान हमारी उन्नति के मार्ग में बाधक नहीं है। यह गलत बात है और इस की पार्टी ने बराबर विरोध किया है।

श्री जयन्नाथ राव जोशी : हम ने विरोध नहीं किया जमींदारी अबोलेशन का बल्कि समर्थन किया।

श्री बिभूति मिश्र : जनसंघ हमेशा स्टेटस को चाहता है।

श्री मधु लिमये : कोई भी आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सब लोगों का आप के प्रति आदर है।

श्री बिभूति मिश्र : जब सरकार ने कोई उन्नतिशील कदम उठाया तो जनसंघ ने बराबर किसी न किसी रूप में विरोध

किया। चाहे संविधान का संशोधन हो और चाहे सीलिंग का कानून हो या और कोई काम हो।

एक साहब ने कहा कि वक्त का कर्मचारी नहीं चल सकता। महाभारत में लिखा है कि राजा काल का कारण है काल राजा का कारण नहीं है। अगर राजा चाहे तो काल को बदल सकता है सरकार काल को बदल सकती है। लेकिन सरकार को इस संविधान की वजह से बहुत मजबूरियाँ हैं जिस की वजह से सरकार के सामने दिक्कत होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोग चले जाते हैं। इन दिक्कतों के कारण सरकार को मुसीबत हो जाती है। मैं न्याय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि रोज़ भ्रामकियाँ पूजा करता है तो भ्रामकियाँ का दिमाग भी पूजा करता है लेकिन अगर किसी दिन कोई विशेष यज्ञ का काम शुरू हो जाता है तो उस के मस्तिष्क में एक विशेष स्थिति का जन्म होता है उस कार्य के लिये। इसी तरह से जब इस लोक सभा को कांस्टीट्यूटिंग असेम्बली बनायेगे तो विधान की सारी गलतियाँ हमारे दिमाग में आयेगी। यों सरकार ने भी संविधान में संशोधन करने की कोशिश की लेकिन किमी प्राइवेट मेम्बर के बिल को आज तक सरकार ने नहीं माना। अगर किमी प्राइवेट मेम्बर के बिल को सरकार कबूल करती तो सरकार कहती कि हम इस को इस रूप में मानने को तैयार नहीं हैं क्योंकि इसकी शब्दावली ठीक नहीं है, अगर शब्दावली ठीक कर दी जाय तो हम मान लेंगे या दूसरी भाषा में सरकार स्वयं नया संशोधन ला रही है। लेकिन सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया।

यह जरूर है कि लोक सभा को अधिकार है और माननीय मधु लिमये जी ने कहा कि इस बार जो हम लोग चुनाव लड़े उस में साफ़ तौर से कहा नहीं गया कि संविधान में परिवर्तन करने के लिये हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस बनियाद पर हम लोग

बहुमत प्राप्त कर के आये कि गरीबी हटाओ और संविधान को बदलने के लिये जा रहे हैं और प्रिबी पर्स में जो हमारी हार हुई... (व्यवधान) आप जरा शान्ति से मेरी बात सुनो। मेरे कहने का मतलब है कि इस लोक सभा में पिछली लोक सभा से यह फर्क है कि हम इस बार चुनाव इसी आधार पर लड़कर आये संविधान को बदलना है और गरीबी को हटाना है और जो संविधान में अभी तक कठिनाइयाँ होती थी उन को लेकर के यह चुनाव लड़ा है। इसलिये वाजिब है कि लोक सभा को विधान निर्मात्री परिषद् में घोषित किया जाय। गरीबी हटाओ का नारा भी हम ने लगाया।

मैं मंत्री जी की भावना का आदर करता हूँ लेकिन आज राष्ट्रपति को हम 10,000 रु० माहवार तनखाह देने है जब कि दूसरी तरफ देश में 70 प्रतिशत लोग पावर्टी लाइन पर हैं जो कि आज की कीमत में 40 रु० है तो 40 रु० में और 10,000 रु० में ढाई सौ गुने का फर्क है। पहले हम स्वयं विरोध करते थे कि वाइसराय को 22,500 रु० तनखाह नहीं देनी चाहिये, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को इतनी अधिक तनखाह नहीं देनी चाहिये, विनोबा जी को तो कोई तनखाह नहीं देते लेकिन जो इज्जत विनोबा जी के लिये हमारे दिल में है वह शायद किसी के लिये हमारे मन में नहीं है। इस लिये आप की नीयत ठीक है, मैं मानता हूँ यह लोक सभा सौवरेन बोडी है विमान में विमान परिवर्तन कर सकती है लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस विधान में जो स्वामी है उन के बारे में सब पार्टी के लोगों को बुला कर के पूछिये कि संविधान में क्या क्या हेरफेर चाहते हैं।

मेरा मंत्री जी को कहना है कि कोई आदमी जब गवर्नमेंट में जाता है तो वह आदमी प्रतिक्रियावादी हो जाता है और जब सरकार से हट जाता है तो फिर

प्रतिक्रियावादी नहीं रहता है। प्रतिक्रियावादी होने का कारण यह होता है कि जो लोग मंत्री के आसपास रहते हैं वह मंत्री को डरे रहते हैं इसलिये सरकार में रहने वाला आदमी प्रतिक्रियावादी हो जाता है और सरकार में रहने से ही प्रतिक्रियावादिता आती है, इसलिये सरकार से अलग रहने पर जन जीवन का सुख दुख समझ में आता है।

सोवियट संविधान में लिखा है कि :

"Art. 130:—It is the duty of every citizen of the USSR to abide by the Constitution of the Union of Soviet Socialist Republics, to observe the laws, to maintain labour discipline, honesty to perform public duties and to respect the rules of socialist society."

आप के संविधान में कोई ऐसी बात है? और यह भी है कि जो इसका पालन नहीं करेगा, आगे उस में लिखा है।

"Art. 131:—It is the duty of every citizen of the USSR to safeguard and fortify public, socialist property as the sacred and inviolable foundation of the Soviet system, as the source of the wealth and might of the country, as the source of the prosperity and culture of all the working people."

Persons committing crimes in respect of public, socialist property are enemies of the people."

हमारे विरोधी भाइयों ने जितने प्रदर्शन किए आप बताएं कि उनमें कितनी रेलगाड़ियां तोड़ी गई कितनी बसें जलाई गई और क्या संविधान में कोई विधान है कि जिसके तहत उनको पनाह दिया जा सकता हो? नेशनल प्रायर्टी को इतनी हानि हुई लेकिन संविधान में गुंजाइश नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। आपने भी आर पी सो बना लिया

[श्री बिभूति मिश्र]

और कोड बना लिये लेकिन वकीलो आदि के बखड़े में पड़ कर मामला वहाँ का बहा रह जाता है। अगर इसके बारे में कुछ प्रावधान कास्टीट्यूशन में होता तो किसी को ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती। शराब बन्दी को लेकर हम लोग जेलों में गए। लेकिन आज शराब बन्दी होने के बजाय शराब की खपत बढ़ती ही चली जा रही है और लोगों को पीने की छूट मिलती जा रही है। सभी पार्टियों को मिल कर के सोचना होगा कि कास्टीट्यूशन में क्या खराबिया है। हमारे विरोधी भाई भी देश भक्त हैं। उनको भी बुला कर आपको पृष्ठित होगा। हमारे भाई अपने आपको बड़े रेबोल्यूशनरी कहते हैं। जब रेबोल्यूशन के दिन थे तब आप में मे बहुत मे आदमी तो थे ही नहीं और कुछ थे जो हम लोगों को पकड़वाते थे। हम बूढ़े हो गए हैं, 72 वर्ष की मेरी आयु हो गई है लेकिन आज भी रेबोल्यूशन का वाजिब मौका आया तो हम पोछे ही हटेंगे।

श्री भवु लिमये मैं आजादी के पहले चार साल जेल में रहा हूँ। पुर्णालिया की जेल में भी रहा हूँ।

श्री बिभूति मिश्र मैं मंत्री महोदय के कहे अनुसार अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ। लेकिन एक बात मैं उनसे कहना हूँ। वे वकील हैं। वकील की दृष्टि में वह इसका न देखें। हिन्दुस्तान की नागरिक की दृष्टि में, गांव वालों की दृष्टि से देखें। गांधीजी कहते थे कि अगर हमारे दिमाग में वकालत की बात रहेगी तो जनता की भलाई हम नहीं कर सकेंगे। आपको झुगो झोंपड़ा वालों की दृष्टि से इसको देखना होगा। दुनिया के और जो संविधान हैं उनको देख करके जरूरी जो सुधार हों उनको करना होगा। और इसी को आप कास्टीट्यूट अवैम्बली मानते हैं और कहते हैं कि इसको पूरी पावर्ज है तो ऐसे संशोधन आप लागू ताकि देश का कल्याण हो सके। आपने ज्यादा महत्त्व पड़ा है।

लेकिन आप देखें कि दुनिया में रेबोल्यूशन हो गए। फौज रेबोल्यूशन हो गया, दूसरे हो गए अगर आप भी वक्त के साथ नहीं बदलें तो आप भले ही गद्दी पर बैठे रह जाएँ, जनता हमारे हाथ से निकल जाएगी। जनता की मांग है कि संविधान को संशोधित करके इसको नया रूप दिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं आपकी आज्ञा से अपने प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ।

SHRI MADHU LIMAYE: I press my amendment

MR. CHAIRMAN: I will put your amendment to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. CHAIRMAN: Shri Daga has moved two amendments. He is not present. But as they have already been moved, I have to put them to the vote of the House.

Amendments Nos. 2 and 3 were put and negatived.

SHRI BIBHUTI MISHRA: I seek the leave of the House to withdraw my Resolution.

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House to grant leave to Shri Bibhuti Mishra to withdraw his Resolution?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

The Resolutions was, by leave, withdrawn.

17 55 hrs

RESOLUTION RE. ESTABLISHMENT OF CONVENTION WHEN GOVERNMENT SHOULD RESIGN

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai): Sir, I move that:

"This House resolves that a convention be established that the Government should resign if it fails to